सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2018-2019

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग

भारत सरकार

नई दिल्ली

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड-4 (परिशिष्ट- I) में प्रकाशित 01 जून 2005 के भारत सरकार के संकल्प में यथापेक्षित, तेरहवीं रिपोर्ट प्रस्तुत है ।

इसमें, 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि की रिपोर्ट और आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं का संक्षिप्त ब्योरा भी दिया गया है ।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
नई दिल्ली

आभार-ज्ञापन

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग विभिन्न क्षेत्रों के उन सभी विशेषज्ञों, सरकारी विभागों तथा वरिष्ठ अधिकारियों का अत्यंत आभारी है जिनके साथ इसने अपने कामकाज के सिलसिले में विचार-विमर्श तथा परामर्श किया था । उनकी भागीदारी तथा सहयोग के बिना, आयोग के लिए अपने दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर पाना संभव न होता।

यह आयोग श्री के.वी.ईपन का आभारी है जिन्होंने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में 01 फरवरी, 2018 को अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण किया और तभी से आयोग के कार्यकलापों में गहन दिलचस्पी दिखाई । यह आयोग श्री प्रवीण श्रीवास्तव, आईएसएस का भी आभारी है, जिन्होंने 6 अक्तूबर, 2018 से भारत के मुख्य सांख्यिकीविद तथा आयोग के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया था तथा जिनका आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के साथ सतत विचार विमर्श एवं सुझाव, एनएससी को अपनी अनुशंसाएं करने में अत्यंत उपयोगी रहा है।

यह आयोग, डॉ. विद्या धर, अपर महानिदेशक द्वारा 3 दिसंबर, 2018 तक प्रदान की गई सेवाओं तथा एनएससी सचिवालय में श्रीमति अनुजा बापट, उपमहानिदेशक तथा अन्य सहायक स्टाफ की प्रशंसा करता है जिनके विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों के साथ समन्वय और निरंतर अनुवर्तन में योगदान से राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग को मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिली है।

(श्री अमिताभ कांत)

विषय-सूची

अध्याय सं.	विवरण	पृष्ठ सं
	संक्षिप्तियां	1-3
	कार्यकारी सारांश	4-6
1.	प्रस्तावना	7-12
2.	केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की सांख्यिकीय गतिविधियों की समीक्षा	13-24
3.	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय की सांख्यिकीय गतिविधियों की समीक्षा	25-43
4.	राज्य आर्थिक सांख्यिकीय निदेशालय की सांख्यिकीय गतिविधियों की समीक्षा	44-48
अनुलग्नक		
अनुलग्नक 1	भारत के राजपत्र, साप्ताहिक (9-15 मई 2015) में प्रकाशित अधिसूचना सं 19 के द्वारा दिनांक 1 जून 2005 की अधिसूचना में संशोधन किया गया, जिसके माध्यम से, 24 मार्च 2015 से योजना आयोग के सचिव के स्थान पर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को एन एस सी का पदेन सदस्य बनाया गया	49-54
अनुलग्नक 2	एनएससी द्वारा गठित पांच व्यावसायिक समितियों में से प्रत्येक के लिए संविधान तथा विस्तृत विचारत विषय	55-72
अनुलग्नक 3	भारत के मुख्य सांख्यिकीविद के लिए संशोधित सेवा शर्तें	73-76
अनुलग्नक 4	राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति के लिए अन्वेषण समिति के गठन संबंधी गजट नोटिफिकेशन	77-79

संक्षिप्तियां

एसीएनएएस	राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी संबंधी सलाहकार समिति
एएसआई	वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण
बीई	बजट अनुमान
बीआर	बिजनेस रजिस्टर
बीएसी	ब्रॉड गतिविधि कोड
सीएपी	समन्वय तथा प्रकाशन प्रभाग
सीसी	संकलन श्रेणियाँ
सीईएस	उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण
सीपीआई	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीएसआई	भारत के मुख्य सांख्यिकीविद्
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
डीईएस	आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय
डीजी	महानिदेशक
डीएनबीएस	गैर बैकिंग पर्यवेक्षण विभाग
डीपीडी	डाटा प्रोसेसिंग डिवीजन
ईसी	आर्थिक गणना
ईपीआर	रोजगार जनसंख्या अनुपात
ईयूएस	रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण
एफओडी	क्षेत्र संकार्य प्रभाग
एफओएफ	निधि का प्रवाह
एफएसयू	फर्स्ट स्टेज यूनिट
एफटीपी	फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल

जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीएसडीपी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जीएसटी	माल एवं सेवा कर
जीटीआई	सकल व्यापार आय
जीवीए	सकल मूल्यवृद्धि
आईएएसआरआई	भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान
आईआईपी	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
आईएसआई	भारतीय सांख्यिकीय संस्थान
केआई	कुंजी संकेतक
एमसीए	कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय
एमपीसीई	मासिक प्रति व्यक्ति व्यय
एमओएसपीआई	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एनएडी	राष्ट्रीय लेखा प्रभाग
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनएएस	राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी
एनबीएफसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
एनआईए	राष्ट्रीय आय लेखा
एनआईडीएस	नेशनल इंटीग्रेटेड डेटा सिस्टम
एनपीआईएसएच	परिवारों की सहायता करने के लिए गैर लाभकारी संस्थाएं
एनएससी	राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
एनएसएस	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण
एनएसएसओ	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय
एनआईटीआई	नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया

एनवीए	शुद्ध मूल्य वर्धन
एनएसएसटीए	राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी
पीएफआरडीए	पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण
पीएलएफएस	आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरई	संशोधित अनुमान
आरपीसी	ग्रामीण मूल्य संग्रह
आरएसई	सापेक्ष मानक त्रुटि
एसडीडीसी	सांख्यिकीय डेटा प्रकटीकरण नियंत्रण
एसडीआरडी	सर्वेक्षण अभिकल्प और अनुसंधान प्रभाग
एसडीजी	सतत विकास लक्ष्य
एसआई	सर्वेक्षण उपकरण
एसएनए	राष्ट्रीय लेखा प्रणाली
एसआरएसडब्ल्यूओआर	प्रतिस्थापन के बिना सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श
एसयू	उप-इकाइयां
टीओआर	विचारार्थ विषय
टीआर	तकनीकी रिपोर्ट
यूएफएस	शहरी फ्रेम सर्वेक्षण
यूएनडीपी	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यूएसयू	अल्टिमेट स्टेज यूनिट
डब्ल्यूपीआई	थोक मूल्य सूचकांक
डब्ल्यूएफपीआर	कार्य बल भागीदारी दर

कार्यकारी सारांश

परिचय

1. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) में एक अंशकालिक अध्यक्ष, चार अंशकालिक सदस्य तथा एक पदेन सदस्य शामिल हैं और यह आयोग 12 जुलाई 2006 से अस्तित्व में है। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् (सीएसआई) इस आयोग के सचिव हैं।

(पैरा 1.1 से 1.7)

2. एनएससी को 13-सूत्री दायित्व सौंपे गए हैं। इसके अलावा, एनएसएसओ की शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल) के कार्य एनएससी को सौंपे गए थे। केन्द्र में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आयोजित सांख्यिकीय सर्वेक्षणों के निरीक्षण की जिम्मेदारी भी एनएससी को सौंपी गई है।

(पैरा 1.8 से 1.10)

3. वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान आयोग की सात बैठकें आयोजित हुई हैं। इन बैठकों में, आयोग ने इसे संदर्भित विषयों पर और इसे सौंपे गए कार्यों पर विचार-विमर्श किया। वर्ष 2016 में राष्ट्रीय सांख्यकीय आयोग द्वारा गठित पांच व्यावसायिक समितियों ने रियल, वित्त, राजकोषीय सेक्टर सांख्यिकी, ऑनलाइन डेटा रिपोर्टिंग तथा आंकड़ा विश्लेषणों संबंधित पहलुओं को शामिल करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

(पैरा 1.11 से 1.15)

4. एनएससी की स्थापना के कारण वार्षिक व्यय संसद द्वारा पारित, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत मांग से पूरा किया जा रहा है।

(पैरा 1.16 से 1.17)

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की सांख्यिकीय गतिविधियों की समीक्षा

5. 2016 में एनएससी द्वारा गठित पांच व्यावसायिक समितियों ने रियल एस्टेट, वित्तीय, राजकोषीय क्षेत्र के आँकड़ों, ऑनलाइन आंकड़ा रिपोर्टिंग और आंकड़ा विश्लेषणों के पहलुओं को कवर करते हुए वर्ष 2018-19 के दौरान अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंप दी है । एनएससी ने निर्णय लिया कि सभी पांच समितियों की मसौदा रिपोर्ट व्यापक सार्वजनिक परामर्श और रिपोर्ट पर आमंत्रित टिप्पणियों/सुझावों को सुविधाजनक बनाने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाना चाहिए। इन रिपोर्टों को कार्यान्वयन आदि के लिए कार्यान्वयनकर्ता मंत्रालयों, विभागों और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ पत्राचार और समन्वय के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सीएपी डिवीजन को भेजा गया था।

(पैरा 2.1 से 2.9)

6. सीएसओ के राष्ट्रीय लेखा प्रभाग ने आयोग के समक्ष पिछली श्रृंखलाओं 2004-05 से 2011-12 (आधार 2011-12) पर एक कार्योत्तर प्रस्तुति दी ताकि वर्ष 2004-05 से नई सकल घरेलू उत्पाद श्रृंखला को पुन: तैयार करने हेतु कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण बदलावों की समझ दी जा सके। ।

(पैरा 2.10 से 2.14)

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के क्रियाकलापों की समीक्षा

7. राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग तत्कालीन एनएसएसओ शासी परिषद के कार्यों को करता रहा है। इन कार्यों में प्रत्येक एनएसएस दौर में कवरेज के विषयों का निर्णय लेना, कार्यप्रणाली बनाना और आंकड़ों के विधायन की निगरानी करना एनएसएसओ के सर्वेक्षण रिपोर्टों/इकाई स्तरीय आंकड़ों की रिलीज शामिल है। आलोच्य अवधि की रिपोर्ट के दौरान, एनएसएसओ ने एक रिपोर्ट जारी की । इसके अलावा, त्रैमासिक आरपीसी बुलेटिन और वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (2015-16) के सार परिणाम जारी किए गए । एएसआई 2016-17 के आधार पर फैक्टरी सेक्टर की वेबसाइट तालिकाएं, वॉल्यूम-। तथा सार परिणाम प्रकाशित कर दिए गए हैं । भारत में अनिगमित गैर-कृषि उद्यमों (निर्माण को छोड़कर) की आर्थिक विशेषताओं पर रिपोर्ट सं. 582 राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग द्वारा अनुमोदित की गई ।

(पैरा 3.1 से 3.4)

8. (i) घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (ii) घरेलू सामाजिक उपभोग: स्वास्थ्य और (iii) घरेलू सामाजिक उपभोग: शिक्षा पर एनएसएस के 75वें दौर के सर्वेक्षण की सारणियन योजना, आयोग द्वारा अनुमोदित की गई ।

(पैरा 3.5 से 3.9)

9. एनएसएस के 77वें दौर के कार्यकारी समूह द्वारा तैयार किए गए किए गए सर्वेक्षण साधनों को एनएससी द्वारा अनुमोदित किया गया **।**

(पैरा 3.10 से 3.19)

10. एनएससी ने निर्णय लिया कि पीएलएफएस आंकड़ों के आधार पर पहली वार्षिक रिपोर्ट (जुलाई, 2017-जून, 2018) और पहली तिमाही बुलेटिन (जुलाई-सितंबर, 2018) दिसंबर, 2018 तक जारी की जाएगी।

(पैरा 3.20 से 3.23)

11. 15वें वित्त आयोग को एनएसएस के 75वें दौर के इकाई स्तर के आंकड़ों की आपूर्ति पर चर्चा की गई।

(पैरा 3.24 से 3.26)

12. एनएससी ने एनएसएस के 73वें दौर के "वर्ष 2015-16 के दौरान भारत में अनिगमित गैर-कृषि उद्यमों (निर्माण को छोड़कर) की आर्थिक विशेषताओं" की रिपोर्ट संख्या 582 को इस अनुशंसा के साथ मंजूरी दी कि प्रकाशित रिपोर्ट प्रमुख संकेतक (केआई) (73/2.34) के आंकड़ों का उपयोग/परामर्श करते समय पाठक और उपयोगकर्ता परिवर्तनों का ध्यान रखें ।

(पैरा 3.27 से 3.28)

13. सूचीबद्ध अनुसूची की समाप्ति के संबंध में, आयोग ने निर्णय लिया कि किसी दौर की अंतिम रिपोर्ट जारी होने के दो साल बाद सूचीबद्ध अनुसूचियों को समाप्त किया जा सकता है ।

(पैरा 3.29 से 3.33)

14. सांख्यिकीय आंकड़ा प्रकटीकरण नियंत्रण के लिए विस्तृत मानक विकसित करने संबंधी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को हितधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया । एनएससी ने एसडीआरडी की तत्संबंधी टिप्पणियों और अवलोकनों के आधार पर सिफारिशें दीं।

(पैरा 3.34 से 3.37)

15. मसौदा वार्षिक रिपोर्ट, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), 2018-19 को एनएससी की 105वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया और इसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया ।

(पैरा 3.38 से 3.48)

16. एनएसएस के 74वें दौर के परिणाम आयोग को प्रस्तुत किए गए और आयोग ने फैसला किया कि एनएसएसओ को एनएसएस के 74वें दौर पर एक तकनीकी रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए जो सर्वेक्षण के अनुभवों को उजागर करे। क्योंकि अनुपातों की तुलना करने और 74वें दौर के सर्वेक्षण से मौजूदा अनुमानों की विश्वसनीयता के बारे में निर्णय लेने के लिए कोई विश्वसनीय पिछला अनुमान नहीं है। सर्वेक्षण की सीमाओं पर विस्तार में चर्चा की जानी चाहिए।

(पैरा 3.49 से 3.54)

राज्यों की सांख्यिकीय गतिविधियों की समीक्षा

17. उत्तराखंड के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों की सांख्यिकीय गतिविधियों की समीक्षा की गई।

(पैरा 4.1 से 4.10)

अध्याय-1
प्रस्तावना

वर्ष 2018-19 के दौरान आयोग की गतिविधियों से संबंधित वर्तमान रिपोर्ट राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की 13वीं वार्षिक रिपोर्ट है। इस अध्याय में, आयोग की संक्षिप्त पृष्ठभूमि, आयोग के गठन में बदलाव तथा वर्ष के दौरान आयोग की कार्यप्रणाली से संबंधित गतिविधियां सम्मिलित हैं।

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी) की स्थापना

1.1 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- III खंड - 4 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 85 दिनांक 1 जून 2005 के द्वारा भारत सरकार ने राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की स्थापना का संकल्प पारित किया। इस अधिसूचना के अनुसार, आयोग में एक अंशकालिक अध्यक्ष, चार अंशकालिक सदस्य और नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी इसके पदेन सदस्य के रूप में शामिल हैं।

1.2 2015 में, पूर्ववर्ती योजना आयोग के सरोकारों को आगे बढ़ाने के लिए नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) अस्तित्व में आया। तदनुसार, 1 जून 2005 की अधिसूचना को भारत के साप्ताहिक राजपत्र (9-15 मई 2015) (अनुलग्नक -1) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 19 के द्वारा संशोधित किया गया था । इसके परिणामस्वरूप, योजना आयोग के सचिव के स्थान पर नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को 24 मार्च, 2015 से एनएससी का पदेन सदस्य बनाया गया है।

1.3 भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् (सीएसआई) एनएससी के सचिव हैं। उनकी दोहरी भूमिका है, क्योंकि वह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओपीएसआई) में भारत सरकार के सचिव भी हैं। एनएससी को अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करने में सीएसआई का सहयोग करने के लिए, एक लघु सचिवालय है जिसमें एक उप महानिदेशक और एक निदेशक के साथ अन्य सहायक स्टाफ हैं।

1.4 एनएससी के अंशकालिक अध्यक्ष/सदस्यों और सीएसआई की सेवा-शर्तें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड -3 उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 465

दिनांक 10 मई 2006 में निर्धारित की गई हैं। सीएसआई की सेवा-शर्तें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- III, खंड -4 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 69 दिनांक 22 फरवरी, 2018 के द्वारा संशोधित की गई हैं।

1.5 राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए खोज समिति के गठन में संशोधन किया गया । राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन इस प्रयोजन के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा विधिवत गठित खोज समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किया जाएगा । तद्नुसार, दिनांक 1 जून 2005 की अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खण्ड-I में प्रकाशित अधिसूचना सं. 299 दिनांक 4 सितम्बर 2018 के अंतर्गत संशोधित किया गया ।

आयोग का संघटन

1.6 उपर्युक्त अधिसूचनाओं के अनुसार, समय-समय पर गठित, एनएससी 12 जुलाई 2006 से काम कर रहा है। एनएससी के अंशकालिक अध्यक्ष/सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल तीन वर्ष का होता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, एनएससी में अंशकालिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के नाम नीचे दिए गए हैं:

डॉ राधा बिनोद बर्मन	-	अध्यक्ष	(31.07.2018 तक)
डॉ. राजीव मेहता	-	सदस्य	(02.11.2018 तक)
डॉ. मनोज पांडा	-	सदस्य	(05.11.2018 तक)
श्री पी.सी. मोहनन	-	सदस्य	(28.01.2019 तक)
डॉ. जे.वी. मीनाक्षी	-	सदस्य	(28.01.2019 तक)

1.7 श्री के.वी.ईपन, सचिव, प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग को 1 फरवरी, 2018 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था । श्री प्रवीण श्रीवास्तव ने 6 अक्तूबर, 2018 से भारत के मुख्य सांख्यिकीविद और आयोग के सचिव का पद ग्रहण किया ।

आयोग के दायित्व

1.8 1 जून 2005 के भारत सरकार के संकल्प के तहत एनएससी को निम्नलिखित दायित्व सौंपे गए हैं, -

(क) ऐसे सारभूत आंकड़ों की पहचान करना जो राष्ट्रीय महत्व के हों और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अहम हों;

(ख) विभिन्न तकनीकी विषयों पर आयोग की सहायता के लिए व्यावसायिक समितियों या कार्य समूहों का गठन करना;

(ग) सांख्यिकीय पद्धति से संबंधित राष्ट्रीय नीतियां और प्राथमिकताएं विकसित करना;

(घ) सांख्यिकी के विभिन्न क्षेत्रों में मानक सांख्यिकीय अवधारणाओं, परिभाषाओं, वर्गीकरणों और रीतियों का विकास करना तथा सारभूत आंकड़ों पर राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों का निर्धारण करना;

(ड.) विभिन्न आंकड़ा समूहों के लिए रिलीज कैलेंडर सहित, सारभूत आंकड़ों के संग्रह, सारणीयन और प्रसार के लिए राष्ट्रीय रणनीतियां विकसित करना;

(च) सांख्यिकीय पद्धति की सूचना प्रौद्योगिकी और संचार आवश्यकताओं सहित आधिकारिक सांख्यिकी पर मानव संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीतियां तैयार करना;

(छ) आधिकारिक सांख्यिकी पर सार्वजनिक विश्वास में सुधार हेतु उपायों का विकास करना;

(ज) मौजूदा संस्थागत तंत्रों को सुदृढ़ करने सहित सांख्यिकीय गतिविधियों पर राज्य सरकारों और संघ-राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ प्रभावी समन्वय के उपायों का विकास करना;

(झ) केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और अन्य एजेंसियों के बीच सांख्यिकीय समन्वय का प्रयोग करना;

(ञ) सांख्यिकीय उत्पादों की गुणवत्ता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए सांख्यिकीय गतिविधियों पर सांख्यिकीय लेखा परीक्षा करना;

(ट) केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति हो, को खंड (ग) से (ज) के तहत विकसित मानकों, रणनीतियों और अन्य उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु उपायों की सिफारिश करना;

(ठ) राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के लिए विधान सहित, सांख्यिकीय मामलों पर विधायी उपायों की आवश्यकता पर सरकार को सलाह देना; तथा

(ड) निर्धारित की गई नीतियों, मानकों और रीतियों के आलोक में सांख्यिकीय पद्धति की कार्यप्रणाली की निगरानी तथा समीक्षा करना और बेहतर निष्पादन के लिए उपाय सुझाना।

1.9 उपर्युक्त के अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडल की 10 अगस्त 2006 को आयोजित अपनी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की

शासी परिषद के सभी कार्य 30 अगस्त 2006 से एनएससी को सौंप दिए गए थे। ये कार्य मुख्य रूप से एनएसएसओ और राज्य अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के माध्यम से विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विषयों पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों (एनएसएस) के संचालन की निगरानी से संबंधित हैं जिनके लिए दौर होते हैं और आमतौर पर प्रत्येक दौर एक वर्ष की अवधि का होता है जो कृषि वर्ष के साथ-साथ चलता है। 68वें एनएसएस दौर से आगे, एनएससी ने तय किए गए विषयों पर इस तरह से कार्य समूहों का गठन किया गया है, जिससे ये कार्य समूह प्रत्येक दौर के लिए सर्वेक्षण की पूरी पक्रिया की निगरानी में एनएससी की सहायता करने में समर्थ हों।

1.10 एनएससी को केन्द्र में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आयोजित सांख्यिकीय सर्वेक्षणों के संबंध में कतिपय निरीक्षण कार्य भी सौंपे गए हैं। इस प्रयोजन के लिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- III, खंड -4 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 232 दिनांक 5 दिसंबर, 2011 को दिशानिर्देश अधिसूचित किए जिसमें केन्द्र में संबंधित मंत्रालयों को किसी भी सांख्यिकीय सर्वेक्षण के संचालन के लिए एनएससी की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। सहमति के अलावा, दिशानिर्देशों में एनएससी की निगरानी में विभिन्न सर्वेक्षण करने और एनएससी के परामर्श से सर्वेक्षण रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए, एनएससी को रीतियों आदि की तैयारी हेतु समितियों का गठन करने के लिए विशेषज्ञों के नामों की सिफारिश करने का प्रावधान है।

आयोग की कार्यप्रणाली

1.11 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आयोग की आठ बैठकें आयोजित हुई। बैठकों की तारीखें नीचे इंगित की गई हैं-

बैठक संख्या	बैठक की तारीखें
101	19 जून, 2018
102	16-17 जुलाई, 2018
103	7 सितम्बर, 2018
104	29 अक्तूबर, 2018
105	05 दिसम्बर, 2018
106	13 दिसंबर, 2018
107	18 दिसंबर, 2018

1.12 इन बैठकों में, आयोग ने संदर्भित मुद्दों पर और अपने दायित्व के अंतर्गत आने वाले विषयों पर विचार-विमर्श किया। संबंधित क्षेत्रों में सांख्यिकीय पद्धति में सुधार लाने की दृष्टि से, आयोग ने शिक्षाविदों, संबंधित विषयों के विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श तथा गहन चर्चा भी की। आयोग की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त अभिलेखबद्ध किए गए और इन्हें एनएससी के सभी सदस्यों में परिचालित किया गया था तथा एनएससी की उत्तरवर्ती बैठक में चर्चा के उपरांत उनकी पुष्टि की गई थी। आयोग द्वारा की गई सिफारिशें यथोचित कार्रवाई के लिए संबंधित सरकारी विभागों/कार्यालयों को भेजी गई थी।

1.13 एनएससी के परामर्श पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा रियल, वित्त, राजकोष सेक्टर सांख्यिकी, ऑनलाइन डेटा रिपोर्टिंग तथा आंकड़ा विश्लेषण संबंधित पहलुओं को शामिल करते हुए, 5 अक्तूबर, 2016 को गठित पांच व्यावसायिक समितियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । इन रिपोर्टों को कार्यान्वयन आदि के लिए कार्यान्वयनकर्ता मंत्रालयों, विभागों और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ पत्राचार और समन्वय के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सीएपी प्रभाग को भेजी गई ।

1.14 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट और उनकी अनुपालन रिपोर्ट को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है।

1.15 आगे के अध्यायों में, वर्ष के दौरान आयोग की गतिविधियां और उसके द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों को व्यापक तकनीकी बारीकियों से बचते हुए संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। इनमें सीएसओ तथा एनएसएसओ की सांख्यिकीय गतिविधियों की एनएससी द्वारा समीक्षाएं तथा सिफारिशें शामिल हैं और ये क्रमश: अध्याय -2 एवं अध्याय-3 में हैं। एनएससी ने राज्यों में सरकारी सांख्यिकी की समीक्षा का भी पता किया है और यह अध्याय-4 में शामिल है।

आयोग का व्यय

1.16 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना के कारण वार्षिक व्यय जिसमें वेतन, घरेलू यात्रा, कार्यालय व्यय, व्यावसायिक सेवाओं, प्रशासनिक सेवाओं और दैनंदिन की प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए व्यय शामिल है, की पूर्ति संसद द्वारा पारित सांख्यिकी और कार्यकम कार्यान्यन मंत्रालय के अधीन मांग से की जा रही है।

1.17 वर्ष 2018-19 के बजट अनुमानों में, सांख्यिकी और कार्यकम कार्यान्यन मंत्रालय के राजस्व खंड के अधीन एनएससी के लिए 143 लाख रूपए का प्रावधान और वर्ष 2018-19 के दौरान 113 लाख रुपए का संशोधित बजट रखा गया था। यह रिपोर्ट की गई कि 79.93 लाख रुपए का व्यय 2018-19 के दौरान किया गया ।

अध्याय-2

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की सांख्यिकीय गतिविधियों की समीक्षा

2.1 एनएससी को अन्य बातों के साथ-साथ, आधिकारिक सांख्यिकी में विभिन्न क्षेत्रों में मानक सांख्यिकीय अवधारणाएं, परिभाषाएं, वर्गीकरण तथा रीतियां तैयार करने, निर्धारित नीतियों, मानकों तथा रीतियों के आलोक में सांख्यिकीय पद्धति की कार्यप्रणाली की निगरानी तथा समीक्षा करने और बेहतर कार्य निष्पादन के लिए उपायों का सुझाव देने का दायित्व सौंपा गया है। वर्ष के दौरान, एनएससी ने केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सांख्यिकीय स्कंध के अंतर्गत आता है, की कुछ सांख्यिकीय गतिविधियों की समीक्षा की है। आयोग की टिप्पणियां, सिफारिशों सहित दी गई हैं।

2.2 एनएससी ने दिनांक 5.10.2016 के अपने पत्र संख्या 8(64)/2010-एनएससी के तहत एसएनए 2008 के व्यापक ढांचे के अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाने से संबंधित कार्यप्रणाली और आंकड़ा आधार संबंधी मुद्दों में संभावित सुधार की जांच करने के लिए उच्च स्तरीय राष्ट्रीय विशेषज्ञों और व्यावसायिक सांख्यिकीविदों वाली 5 व्यावसायिक समितियां गठित की । ये विशिष्ट समितियां रियल सेक्टर सांख्यिकी, वित्तीय सेक्टर सांख्यिकी, राजकोषीय सांख्यिकी, ऑन-लाइन रिपोर्टिंग तथा आंकड़ा विश्लेषण में और अधिक आधुनिक तथा समकालीन सांख्यिकीय प्रणाली के लिए रोड मैप तैयार करने के निमित्त बनाई गई । इन पांच व्यावसायिक समितियों ने वर्ष 2018-19 के दौरान आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

2.3 प्रो. रविन्द्र एच. ढोलकिया की अध्यक्षता में वित्तीय क्षेत्र सांख्यिकी समिति ने आगे के मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श के लिए तीन उप-समूहों का गठन किया जो इस प्रकार है:

i) क्षेत्रीय लेखाओं के संकलन संबंधी उप-समूह

ii) निधि प्रवाह में मौजूदा मुद्दों और संभावित समाधानों पर उप-समूह के संकलन

iii) सरकारी क्षेत्र पर उप-समूह - स्थानीय सरकारों पर आंकड़ा

2.4 समिति ने क्षेत्र विशेष की सिफारिश दी जिसमें सहकारी क्षेत्र, माइक्रो-वित्त संस्थान, गैर-वित्तीय और वित्तीय निगम, बीमा क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र (स्थानीय स्व-सरकार के अलावा) शामिल थे। निधि प्रवाह संकलन में सुधार के लिए अन्य प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थीं:

i) राष्ट्रीय स्तर के अनुमानों को वार्षिक और त्रैमासिक आधार पर तैयार किया जाना चाहिए, जबकि राज्य स्तर का अनुमान अगले पांच वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर हो सकता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), राष्ट्रीय लेखाओं के भाग रूप में बचत और पूंजी निर्माण के राष्ट्रीय स्तर के अनुमानों को तैयार करना जारी रख सकता है। तथापि, एनएएस और निधि प्रवाह आँकड़ों के अनुमानों में विसंगतियां को अगर खत्म नहीं कियाजा सकता तो उन्हें कम करने के लिए सीएसओ और आरबीआई को साथ मिलकर काम करना चाहिए ।

ii) स्रोत प्रणालियों को मजबूत करने के लिए प्राथमिकता दी जा जाए ताकि जी20 समूह द्वारा निधि प्रवाह संकलन के लिए निर्धारित मानकों को 2021 तक पूरा किया जा सके।

iii) डेटा स्रोतों के आधार पर आरबीआई और सीएसओ में विसंगतियां, उनकी कट-ऑफ तारीखों या अन्यथा संभव सीमा तक सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। सीएसओ और आरबीआई को एनएएस/निधि प्रवाह आंकड़ा जारी करने से पहले अपने नोट्स का आदान-प्रदान करना चाहिए। विसंगतियों के कारणों को कार्यप्रणालीगत दस्तावेजों में अग्रिम कहा जा सकता है। स्टॉक और प्रवाह के बीच विसंगति को रिकॉर्ड करने के लिए "समाधान तालिका" की तैयारी की जांच की जा सकती है।

iv) जहां कहीं भी प्रासंगिक हो, मौजूदा डेटा आधार में व्यक्तियों/संस्थाओं की अद्वितीय पहचान उनकी संस्थागत श्रेणी (निधि प्रवाह के अनुसार) और गाँव/कस्बाई स्तर तक की उनकी भौगोलिक पहचान से संबंधित अतिरिक्त क्षेत्रों (आयामों) को जोड़ना होगा। आरबीआई (डीएनबीएस) और नाबार्ड क्रमशः एनबीएफसी और सहकारी संस्थानों से आंकड़ा एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण जैसे वार्षिक बीएसआर की संभावना तलाश सकते हैं।

v) आंकड़ा आधार सिस्टम उपयुक्त मास्टर्स को बनाए रखने, अच्छी तरह से परिभाषित ऑडिट ट्रेल्स बनाने में सक्षम और मेटाडेटा में सभी आंकड़ा संबंधित स्पष्टीकरण होने से अच्छे डेटा गवर्नेंस आर्किटेक्चर का पालन कर सकते हैं।

vi) विभिन्न नियामकों द्वारा बनाए गए डेटा भण्डारों को जोड़कर एक आभासी एकीकृत डेटा भण्डार नेटवर्क की व्यवहार्यता का पता लगाया जा सकता है।

vii) उच्च आवृत्ति के डेटा को तैयार करने के लिए प्रत्येक सरकारी आंकड़ा संकलक/नियामक/पर्यवेक्षकों द्वारा सांख्यिकीय प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता होती है।

viii) अनंतिम वार्षिक और त्रैमासिक निधि प्रवाह आँकड़े संदर्भ तारीखों से क्रमश: 9 महीने और 4 महीने के भीतर जारी किए जा सकते हैं। हालाँकि, संशोधित वार्षिक निधि प्रवाह लेखा, संदर्भित तिथि से 12 महीनों के भीतर जारी किए जा सकते हैं।

ix) जी20 देशों द्वारा सभी लक्ष्य साधनों पर सभी लक्षित क्षेत्रों के लिए डेटा 2021 तक प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। इनके लिए अपेक्षित स्रोत प्रणालियों को मजबूत करने को प्राथमिकता दी जा सकती है।

x) अनंतिम/संशोधित आंकड़ों के संकलन की कार्यप्रणालियां भी जारी की जा सकती हैं।

xi) निधि प्रवाह आंकड़ा जारी करने के प्रारूप में सुधार को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप तलाशा जा सकता है।

xii) चूंकि निधि प्रवाह, संबंधित संस्थानों के प्राथमिक लेखाओं से प्राप्त होता है, इसलिए प्राथमिक लेखाओं का ऑडिट, प्राथमिकता से होनी चाहिए।

xiii) समिति ने राज्य स्तर के निधि प्रवाह लेखाओं की तैयारी के लिए एक रूपरेखा तैयार की है। राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए, यह राष्ट्रीय निधि प्रवाह संकलन के लिए उपयोग किए जाने वाले पांच क्षेत्रों (चार घरेलू क्षेत्रों और एक शेष विश्व) के साथ एक अतिरिक्त सेक्टर "शेष भारत" को शामिल करने का सुझाव देता है। सेक्टर "शेष भारत" देश के अन्य शेष राज्यों के साथ विशेष राज्य के लेनदेन को सम्मिलित करता है। राज्य के भीतर, उपयुक्त क्षेत्रों (वित्तीय/गैर-वित्तीय/राज्य सरकार/परिवारों) में लेनदेन दर्ज किए जाते हैं।

xiv) यह केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को एक सुपर-क्षेत्रीय सेक्टर के रूप में मानने का भी सुझाव देता है। केंद्र सरकार/रिजर्व बैंक के साथ अन्य संस्थागत क्षेत्रों द्वारा लेनदेन को एक सुपर-क्षेत्रीय सेक्टर के साथ लेनदेन के रूप में माना जाना चाहिए, और किसी भी राज्य को आवंटित नहीं किया जाना चाहिए।

xv) अगले चरण में, राज्य सरकार, बीमा क्षेत्र और अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए लेखा तैयार किए जा सकते हैं। यह घरेलू क्षेत्र के साथ समकक्ष लेनदेन के साथ, राष्ट्रीय स्तर पर निधि प्रवाह लेनदेन के आधे से अधिक को सम्मिलित करेगा।

xvi) वर्तमान चरण में, गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट क्षेत्र के साथ लेनदेन को किसी विशेष राज्य से लिंक किए बिना अलग से रखा जा सकता है।

xvii) राष्ट्रीय स्तर के निधि प्रवाह लेखाओं को तैयार करने में अपनी विशेषज्ञता से आरबीआई को राज्य स्तर पर इस कार्य को करने के लिए सर्वोत्तम स्थान दिया जाएगा।

xviii) राज्य स्तर के निधि प्रवाह लेखाओं को तैयार करने के लिए आवश्यक समय अंतराल उस समय अंतराल पर निर्भर करेगा जिसके साथ इनपुट आंकड़ा जारी किया जाता है।

2.5 प्रो. सुदीप्तो मंडल की अध्यक्षता में रियल सेक्टर सांख्यिकी पर समिति की रिपोर्ट ने निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशें की हैं:

क. आधुनिक तकनीक जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा क्लीनिंग और इंटरनेट, पॉइंट ऑफ़ सेल डेटा इत्यादि जैसे नए बड़े डेटा स्रोत का उपयोग सभी सांख्यिकीय अधिकारियों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़ा आधार में सुधार के लिए किया जाना चाहिए।

ख. सभी सांख्यिकीय एजेंसियों को सांख्यिकी उत्पादों की गुणवत्ता, कवरेज और समय पर उत्पादन में सुधार के लिए सांख्यिकी संग्रह अधिनियम 2008 का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहिए।

ग. कृषि सांख्यिकी में, निम्नलिखित सिफारिशें की गई थीं:

i) फसल के आंकड़ों के महत्व को पूर्व रूप में लाने के लिए, बाढ़/सूखा राहत, फसल बीमा, सब्सिडी, आदि के लिए जारी धन, मंत्रालय को आपूर्ति किए गए डेटा पर आधारित होना चाहिए।

ii) फसल आकलन सर्वेक्षण अनुसूची में एकत्र किए गए डेटा का उपयोग राष्ट्रीय लेखाओं के संकलन के लिए फसलों/क्षेत्रों के लिए मध्यवर्ती खपत के आकलन के लिए किया जा सकता है जहां ऐसे डेटा किसी अन्य विश्वसनीय स्रोत से उपलब्ध नहीं हैं।

iii) एकीकृत प्रतिदर्श सर्वेक्षण के दायरे और कवरेज का विस्तार इस प्रकार किया जा सकता है कि जिला स्तर पर पशुधन उत्पादन के विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध हों।

घ. औद्योगिक क्षेत्र सांख्यिकी के संबंध में, निम्नलिखित सिफारिशें की गईं:

i. राज्यों द्वारा उन्हें आवंटित किए गए राज्य प्रतिदर्श में एकत्र किए गए आंकड़ों की गुणवत्ता को मजबूत करें, जो एएसआई कवरेज के भीतर विनिर्माण में जीवीए के राज्य-वार वितरण को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय प्रतिदर्श के साथ जमा हो सकता है।

ii. जीवीए के सटीक राज्यवार वितरण को सक्षम करने के लिए, एमसीए स्थान, औद्योगिक गतिविधि और कुछ अन्य चर जैसे अचल संपत्तियों/प्रत्येक कंपनी के लिए श्रमिकों/मजदूरी

बिल आदि के साथ प्रतिष्ठानों की संख्या पर जानकारी की उपलब्धता का पता लगा सकता है।

iii. समस्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए व्यापार रजिस्टर संबंधी कार्य शीघ्रता से पूरा किया जाना चाहिए, ताकि एएसआई कवरेज को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विस्तारित किया जा सके, जिसमें बड़ी विनिर्माण इकाइयां शामिल हो जो व्यापार रजिस्टरों में मौजूद हैं, लेकिन फैक्ट्री अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं हैं।

iv. फैक्ट्री अधिनियम के तहत ऐसी बड़ी इकाइयां जो कि पंजीकृत नहीं है, लेकिन एएसआई फ्रेम में हैं की सूची, असंगठित क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले अंतिम प्रतिदर्श इकाइयों (यूएसयू) के फ्रेम से उन्हें बाहर रखने के लिए फील्ड कर्मचारियों को दी जा सकती हैं।

v. असंगठित विनिर्माण के अनुमानों को आगे बढ़ाने के लिए श्रम इनपुट दृष्टिकोण (पीएलएफएस अनुमानों के माध्यम से) को वर्तमान में लागू किए जाने वाले एएसआई (अर्ध)/आईआईपी विकास दर के विकल्प के रूप में माना जा सकता है।

vi. जब विस्तृत जीएसटी डेटा उपलब्ध हो जाता है तो विनिर्माण क्षेत्र जीवीए के आकलन की प्रक्रिया में जीएसटी डेटा का उपयोग करने की संभावना का पता लगाया जाना चाहिए । विशेष रूप से, संबंधित वर्ष के एएसआई आंकड़े उपलब्ध होने के समय तक घरेलू क्षेत्र और अर्ध-कॉर्पोरेट क्षेत्र के जीवीए अनुमान को स्थानांतरित करने के उद्देश्य से विनिर्माण वस्तुओं के मूल्यांकन योग्य मूल्य के आधार पर एक संकेतक विकसित करने की संभावना का पता लगाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

ड. सेवा क्षेत्र सांख्यिकी के संबंध में, निम्नलिखित सिफारिशें की गईं:

i. राज्य स्तर पर सेवा क्षेत्र का अनुमान, जहां संभव हो, राज्यों द्वारा एनएसएसओ की मदद से केंद्रीय और राज्य प्रतिदर्शों के मिलान किए गए आंकड़ों का उपयोग करके संकलित किया जाना चाहिए।

ii. घरेलू उत्पादों के राज्य-स्तरीय अनुमानों के संकलन के लिए, मुख्य रूप से अनिगमित उद्यमों द्वारा अपनाई जाने वाली संकलन श्रेणियाँ को ऐसे व्यापक गतिविधि समूहों को बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है की अनुमानित जीवीए (डब्ल्यूपीआर x वीएपीडब्ल्यू) के आरएसई, छूट की सीमा के भीतर हों।

iii. उपलब्ध संसाधनों को वार्षिक आधार पर असंगठित क्षेत्र सर्वेक्षण करने के प्रावधान बनाने के लिए फिर से आवंटित किया जा सकता है।

iv. पीएलएफएस का उपयोग आधार वर्ष बेंचमार्क अनुमानों का बहिर्वेशन करने के लिए वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले वॉल्यूम संकेतकों के स्थान पर सेवा क्षेत्र के असंगठित क्षेत्र के जीवीए के आकलन में किया जा सकता है ।

v. सेवा क्षेत्र के मूल्य सूचकांकों में बड़े अंतराल को शीघ्र ही मिटाया जाना चाहिए । इसके अलावा, सभी सेवा मूल्य सूचकांकों का आधार वर्ष समान होना चाहिए।

vi. एनपीआईएसएच पर समर्पित सर्वेक्षण की आवश्यकता है। एनएसएसओ से फ्रेम के रूप में एनपीआईएसएच की गणना का उपयोग करके एनपीआईएसएच संबंधी अलग-अलग सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया जा सकता है ।

vii. एनएसएस 73वें दौर के प्रतिष्ठान सर्वेक्षण के तहत कवर एनपीआईएसएच द्वारा प्रदान की गई गतिविधियों की जांच की जा सकती है और इसका इस्तेमाल एनपीआईएसएच सेगमेंट के अनुमानों को तैयार करने के लिए प्रायोगिक आधार पर किया जा सकता है।

च. मैक्रो-माइक्रो लेवल डेटा को लिंक करने के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की गई थीं:

i. राष्ट्रीय आय लेखांकन के संदर्भ में माइक्रो-मैक्रो लिंकेज परियोजना सबसे चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं में से एक है जिसे संसाधनों की महत्वपूर्ण अभियोजन की अपेक्षा करते हुए भारतीय सरकारी सांख्यिकीय प्रणाली प्रारंभ करेगा ।

ii. सांख्यिकीय प्रणाली के अधिकारियों के माइक्रो-मैक्रो लिंकेज परियोजना को अपनाने से पूर्व, उसे मेटाडेटा प्रबंधन के मामले में परिपक्वता के एक निश्चित स्तर तक पहुंचना चाहिए। मेटाडेटा प्रबंधन का पहला सिद्धांत, संदर्भ के तहत आंकड़ा सेट के मेटाडेटा के लिए एक डेटा मॉडल का होना है; वर्तमान मामले में ये आंकड़ा सेट राष्ट्रीय आय लेखा के संदर्भ में हैं। इस डेटा मॉडल के आधार पर, मेटाडेटा आंकड़ा आधार बनाने की आवश्यकता है।

iii. माइक्रो-मैक्रो लिंकेज परियोजना भारत के सकल घरेलू उत्पाद के उन घटकों से शुरू होनी चाहिए जो सीधे लेखांकन डेटा पर आधारित हैं।

iv. एक विशेषज्ञ समूह का गठन सूक्ष्म स्तर के आंकड़ा आधार का एक मेटा सर्वेक्षण करने के लिए किया जा सकता है जो केंद्र के साथ साथ राज्य स्तर के आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली में उपलब्ध हैं ।

v. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को विभिन्न विशेषताओं के आधार पर वितरण की तैयारी के लिए एनएसएसओ के राज्य प्रतिदर्शों का अधिक से अधिक उपयोग के लिए प्रयास करना चाहिए। एनएसएसओ के राज्य प्रतिदर्शों में उत्पन्न आंकड़ों की

गुणवत्ता में सुधार करना भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए अपेक्षित संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

vi. एक विशेषज्ञ समूह को भारत के लिए एक व्यापक व्यापार रजिस्टर बनाने के तौर-तरीकों पर काम करना चाहिए। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को इस कार्यक्रम को लागू करने की पहल करनी चाहिए।

vii. बिजनेस रजिस्टर पर विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों के आधार पर, सीएसओ को अपने तदनुरूपी सकल घरेलू उत्पाद आंकड़ों के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत कंपनियों के माइक्रो लेवल अकाउंटिंग डेटा का सामंजस्य बैठने के लिए एक समर्पित टीम का गठन करना चाहिए। "पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र" के भीतर, सार्वजनिक सीमित और निजी सीमित कंपनियों का योगदान आदर्श उप-क्षेत्र होना चाहिए जिसके लिए माइक्रो-मैक्रो लिंकेज स्थापित करना संभव होना चाहिए। यह परियोजना एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट परियोजना की प्रकृति में होगी जिसकी यह उप-समिति सिफारिश कर रही है। शुरुआत में केवल उत्पादन लेखाओं को कवर किया जाना चाहिए, प्रयास को धीरे-धीरे अन्य लेखाओं, अर्थात् व्यय लेखाओं और संचय लेखाओं तक विस्तारित किया जाना चाहिए।

viii. उत्पादन लेखा के लिए मैक्रो-माइक्रो लिंकेज स्थापित करने के बाद, आय-व्यय लेखा तथा फिर पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र के लिए संचय लेखा के लिंकेज का कार्य किया जाना चाहिए। इसके बाद, घरेलू क्षेत्र, मैक्रो-माइक्रो लिंकेज पहल के लिए लक्ष्य क्षेत्र होना चाहिए।

2.6 तीसरी रिपोर्ट डॉ. अशोक नाग की अध्यक्षता वाली ऑनलाइन रिपोर्टिंग समिति की थी। इस रिपोर्ट को तैयार करने में समिति द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण जिसमें डेटा प्रबंधन प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति, सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों आदि का संग्रह शामिल था; यूरोपीय सांख्यिकीविदों के सम्मेलन के दौरान विभिन्न सांख्यिकीय एजेंसियों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत कागजात का अध्ययन कई विकसित देशों में डेटा संग्रह प्रक्रिया की वर्तमान पद्धतियों और इसकी भविष्य की दिशा को समझने के लिए किया गया था। इसके द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थीं:

i. सीएसओ/एनएडी को अन्य विभागीय सांख्यिकीय एजेंसियों/नियामक/विकासात्मक निकायों जैसे कि चाय बोर्ड, कोयला नियंत्रक आदि द्वारा एकत्रित की जा रही राष्ट्रीय आय लेखांकन (एनआईए) के लिए आवश्यक डेटा की ऑनलाइन पहुँच प्राप्त करनी चाहिए।

ii. एक्सेस का तरीका प्राथमिक डेटा एकत्र करने वाली एजेंसियों में प्रचलित तकनीकी बुनियादी सुविधाओं पर निर्भर करेगा।

iii. कुछ संभावित प्रौद्योगिकियां हैं: वेब सेवाएं, एफ़टीपी आधारित पहुँच, डेटा एकत्र करने वाली एजेंसियों द्वारा बनाए गए आंकड़ा आधार के अधिकृत सुलभ विचार आदि। सीएसओ/एनएडी द्वारा अपेक्षित डेटा का प्रारूप, बारीकियों और अन्य मेटाडेटा केवल उनके द्वारा दिया जाएगा।

iv. शुरूआत में सीएसओ/एनएडी को किसी भी मैनुअल हस्तक्षेप के बिना एक नेटवर्क पर अपरिष्कृत डब्ल्यूपीआई डेटा का सीधे पहुँच प्राप्त उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए।

v. सीएसओ के पास अपने डेटा केंद्र में इसके द्वारा प्रबंधित एक डेटा संग्रह अनुप्रयोग होना चाहिए।

vi. यह ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली, डेटा संग्रह एजेंसी के प्रकाशन से एक सारांश में प्रकाशित होने से बहुत पहले, एनएडी को त्वरित और मान्य डेटा प्रवाह सुनिश्चित करेगी।

vii. सीएसओ को आरबीआई द्वारा अनुरक्षित बैलेंस शीट और पी एण्ड एल लेखाओं का आरबीआई डेटाबेस और आरबीआई कॉरपोरेट अध्ययन डेटाबेस की डेटाबेस स्तर तक पहुंच प्राप्त होनी चाहिए।

viii. नाबार्ड, इरडा और सेबी/ईपीएफओ/पीएफआरडीए को भी सीएसओ को डेटाबेस स्तर की पहुंच प्रदान करनी चाहिए।

ix. एनएसएसओ को तुरंत अपने सभी सर्वेक्षणों को मिश्रित मोड डेटा संग्रह पद्धति में स्थानांतरित करने की योजना तैयार करनी चाहिए।

x. सीएसओ को स्वयं कारखानों द्वारा एक वेब आधारित एएसआई डेटा जमा करने की प्रक्रिया भी बनानी चाहिए।

xi. सीएसओ को एएसआई सर्वेक्षण में उपयोग किए गए प्रारूप के अनुसार एक रिपोर्ट बनाने के लिए एसएपी, रैमको और अन्य जैसे ईआरपी सिस्टम विक्रेताओं के साथ काम करना चाहिए जो बड़े उद्यमों द्वारा एएसआई डेटा जमा करने में समय अंतराल को काफी कम कर देगा। सीएसओ को स्वयं कारखानों द्वारा एक वेब आधारित एएसआई डेटा जमा करने की प्रक्रिया भी बनानी चाहिए।

xii. सीएसओ को डेटा के स्रोत के रूप में इंटरनेट का उपयोग करने की संभावना का पता लगाने के लिए एक छोटा समूह स्थापित करना चाहिए। इंटरनेट से डेटा एकत्र करने के लिए अवधारणा अनुप्रयोगों के प्रमाण बनाने के लिए आईआईटी/ आईएसआई/

आईआईएससी जैसे अनुसंधान संस्थानों को अनुसंधान परियोजना को प्रदान करने के लिए समग्र निधि तैयार की जा सकती है।

2.7 चौथी रिपोर्ट विश्लेषिकी समिति की थी जिसकी अध्यक्षता प्रो. एन.एल. सारदा ने की थी। समिति की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थीं:

i. एक राष्ट्रीय एकीकृत डेटा सिस्टम (एनआईडीएस) का निर्माण भारतीय आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली का दीर्घकालिक लक्ष्य होना चाहिए।

ii. एनआईडीएस को एक एकीकृत ढांचे के रूप में माना जा रहा है जो सरकारी आंकड़ों के उपयोगकर्ताओं को सरकारी सांख्यिकीय प्रणाली में उपलब्ध आंकड़ों को एकल दृश्य प्रदान करने में सक्षम करेगा।

iii. केंद्र में, राज्यों के साथ-साथ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ एक शीर्ष समन्वय समिति का गठन किया जाना चाहिए। इस समिति का स्थायी दर्जा होना चाहिए और इसे एनआईडीएस के विकास के लिए मानक स्थापित करने का अधिकार होना चाहिए।

iv. राज्य स्तर पर, ऐसी ही समन्वय समिति का गठन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि शीर्ष स्तर पर डिज़ाइन किए गए मानक और रूपरेखा संबंधित राज्यों में लागू हो।

v. समिति ने एनआईडीएस के निर्माण के लिए एक वृद्धिशील दृष्टिकोण प्रस्तावित किया। शुरू करने के लिए, एक प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट को लिया जा सकता है।

vi. शीर्ष समिति को विकासशील मानकों को अपनाना चाहिए जो प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट परियोजना के निर्देशन और निगरानी के समानांतर प्रस्तावित एनआईडीएस की एकीकरण सुविधाओं को परिभाषित करेगा। ये है ; सामान्य मेटाडेटा फ्रेमवर्क, विभिन्न राज्य और केंद्रीय उत्पादकों और उपभोक्ताओं के डेटा प्रवाह के लिए मानक प्रोटोकॉल और एक सामान्य डेटा प्रसार फ्रेमवर्क।

2.8 विचार-विमर्शों के आधार पर, यह निर्णय लिया गया कि सभी पाँच समितियों की मसौदा रिपोर्ट को व्यापक सार्वजनिक परामर्श ग्रहण करने के लिए पब्लिक डोमेन में रखा जाए और रिपोर्ट पर टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किए जाएँ। हालांकि, आयोग को सूचित किया गया था कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा गठित पांच व्यावसायिक समितियों की रिपोर्टों पर कोई टिप्पणी नहीं मिली थी। आयोग ने तब फैसला किया कि समितियों की रिपोर्ट में सुझाई गई तकनीकी

और प्रशासनिक दोनों तरह के संरचनात्मक सुधारों के लिए जहां भी संभव हो, सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख एजेंसियों द्वारा मामले को आगे बढ़ाने के लिए, रिपोर्टें सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को भेजी जा सकती है।

2.9 उक्त सिफारिशें सीएसओ (सीएपी) को पत्राचार सं.17(1)(102)/एनएससी/2018-19 दिनांक 06 अगस्त, 2018 के तहत भेजी गईं थी ।

(कार्रवाई: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)

राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पिछल श्रृंखला 2004-05 से 2011-12 (आधार 2011-12)

2.10 राष्ट्रीय लेखा प्रभाग के अधिकारियों ने आयोग के समक्ष पिछली श्रृंखला 2004-05 से 2011-12 (आधार 2011-12) पर एक कार्योत्तर प्रतितपादन किया ताकि वर्ष 2004-05 में नई सकल घरेलू उत्पाद श्रृंखला को नया रूप देने के लिए कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की समझ दी जा सके । राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के समक्ष की गई प्रस्तुति के आधार पर निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया गया:

(क) पिछली श्रृंखला तैयार करने के लिए दृष्टिकोण

- 2004-05 से 2010-11 तक के लिए पिछली श्रृंखला के अनुमानों को तैयार करने की कार्यप्रणाली काफी हद तक वैसी ही है, जैसी कि नए आधार (2011-12) की कार्यप्रणाली है।
- कुछ मामलों में, आंकड़ों की उपलब्धता की सीमाओं के कारण संयोजन तकनीकी या आधार वर्ष 2011-12 में अनुमान किए गए अनुपातों को समुचित रूप में लागू किया गया है ।
- अपनाने से पहले एसीएनएएस द्वारा कार्यप्रणाली पर विस्तार से चर्चा की गई थी।
- पिछले आधार वर्ष (2004-05) से पहले के वर्षों के लिए, अनुमानों को संयोजन तकनीक का उपयोग करके तैयार किया जाएगा ।

(ख) संशोधन की प्रमुख विशेषताएं: 2011-12

1. कार्यप्रणाली में सुधार

1.1 अंतर्राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन (SNA 2008)

- विभिन्न संस्थागत क्षेत्रों द्वारा अनुमान - गैर वित्तीय और वित्तीय निगम, सरकार और परिवार: सरकार और सार्वजनिक निगमों के बीच अंतर
- बुनियादी कीमतों पर जीवीए का मूल्यांकन

- अर्ध निगमों का प्रबंधन: निगमों के समान
- अनुसंधान और विकास व्यय, पूंजी निर्माण के भाग के रूप में निरूपित
- भारतीय रिजर्व बैंक: एक गैर-बाजार उद्यम के रूप में निरूपित
- संदर्भ दर पद्धति का उपयोग करके वित्तीय मध्यस्थता सेवाएँ अप्रत्यक्ष रूप से आकलित (एफआईएसआईएम) की गणना

1.2 अन्य परिवर्तन

- उद्यम दृष्टिकोण का उपयोग
- संशोधित श्रम इनपुट विधि
- जीटीआई सूचकांक के बजाय अनिगमित व्यापार के लिए बिक्री कर संकेतक का उपयोग
- सेक्टर विशिष्ट सीपीआई का उपयोग (स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और संचार)
- निर्माण सामग्री को मूल सामग्री (कोलतार, कांच) और रेत के अप्रत्यक्ष अनुमान के रूप में शामिल करना

2. नवीनतम डेटा स्रोतों का उपयोग

- हालिया सर्वेक्षण/जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करके आधार वर्ष बदलकर 2011-12 बनाना और आधार वर्ष बदलने के लिए टाइप अध्ययन अर्थात रोजगार और बेरोजगारी और उपभोक्ता व्यय पर एनएसएस 68वां दौर (2011-12) का सर्वेक्षण, अनिगमित गैर-कृषि उद्यमों (निर्माण को छोड़कर) पर एनएसएस 67वां दौर (2010-11) का सर्वेक्षण
- एमसीए 21 आंकड़ा आधार का उपयोग
- सीपीआई-एएल/आईडब्ल्यू के बदले में डब्ल्यूपीआई और सीपीआई की नई श्रृंखला

3. कवरेज में सुधार

- स्टॉक ब्रोकरों, स्टॉक एक्सचेंजों, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों, अतिरिक्त म्यूचुअल फंडों और पेंशन फंडों वित्तीय क्षेत्र में सेबी, पीएफआरडीए और आईआरडीए जैसे नियामक निकाय को शामिल करना
- स्थानीय निकायों और स्वायत्त संस्थानों के कवरेज में सुधार

(ग) 2004-05 बेस के लिए कार्यप्रणाली

- पंजीकृत विनिर्माण: एएसआई और बजट दस्तावेज, अपंजीकृत विनिर्माण - एनएसएस 62वें दौर का अनुमान बाद में आईआईपी एंड डब्ल्यूपीआई द्वारा स्थानांतरित किया गया।

- श्रम इनपुट पद्धति का उपयोग करते हुए असंगठित विनिर्माण और सेवाएं ।
- समग्र सीपीआई का उपयोग किया गया था।
- सकल व्यापार आय (जीटीआई) सूचकांक का उपयोग असंगठित क्षेत्र के व्यापार, मरम्मत और रखरखाव, होटल और रेस्तरां को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है।
- निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र - व्यापार, मरम्मत और रखरखाव, संचार, रियल एस्टेट, भारतीय रिज़र्व बैंक की विकास दर (कंपनी के वित्त पर अध्ययन) के साथ चले।
- भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग को मार्केट उद्यम के रूप में समझा गया।

2.11 वर्तमान और स्थिर (2011-12) मूल्यों पर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आधार मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में परिवर्तन प्रस्तुत किए गए और यह बताया गया कि समग्र जीवीए में तृतीयक क्षेत्र का शेयर, 2004-05 श्रृंखला की तुलना में पिछली श्रृंखला में कम हो गया। यह कमी काफी हद तक नए आधार में असंगठित क्षेत्र की संशोधित कार्यप्रणाली और नवीनतम सर्वेक्षण डेटा स्रोतों के उपयोग के कारण है। 2004-05 आधार में, असंगठित क्षेत्र के लिए मुख्य डेटा स्रोत, व्यापार क्षेत्र के लिए 1999-2000 के एनएसएस अनौपचारिक क्षेत्र सर्वेक्षण, शेष गैर-वित्तीय सेवा क्षेत्रों के लिए एनएसएस 63वें दौर (2006-07) के असंगठित उद्यम सर्वेक्षण परिणाम तथा एनएसएस 61वें दौर (2004-05) के रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण (इयूएस) थे । 2011-12 आधार में, असंगठित गैर-वित्तीय सेवा क्षेत्र के लिए मुख्य डेटा स्रोत, एनएसएस 67वें दौर (2010-11) के असंगठित उद्यम सर्वेक्षण और एनएसएस 68वें दौर (2011-12) के ईयूएस के परिणाम रहे हैं।

2.12 जीडीपी, जीवीए और वर्तमान एवं स्थिर दोनों मूल्यों पर उनकी वृद्धि दर की तुलना को भी ग्राफिक रूप से प्रस्तुत किया गया।

2.13 कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव निम्नलिखित थे:

क) कार्यप्रणाली में सुधार

ख) नवीनतम सर्वेक्षण परिणामों का उपयोग

ग) नए, अधिक नियमित और विश्वसनीय डेटा स्रोतों का उपयोग

घ) कवरेज में सुधार

2.14 उपर्युक्त सिफारिश पत्राचार सं. 17(1)(106)/एनएससी/2018-19 दिनांक 2 जनवरी, 2019 के माध्यम से सीएसओ (एनएडी) को भेज दी गईं ।

(कार्रवाई: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)

अध्याय-3

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय की सांख्यिकीय गतिविधियों की समीक्षा

3.1 एनएससी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सांख्यिकी स्कंध के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के पूर्ववर्ती शासी परिषद के कार्यों का निर्वहन कर रहा है। कार्यों में, प्रत्येक एनएसएस दौर में कवरेज के लिए विषयों को तय करना, कार्यप्रणाली तैयार करना तथा एनएसएसओ द्वारा आंकड़ा के प्रसंसकरण और सर्वेक्षण रिपोर्ट/इकाई-स्तर के आंकड़ों को जारी करना शामिल है। एनएससी ने इन कार्यों को करने में सहायता के लिए समय-समय पर कार्यकारी समूहों का गठन किया है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, एनएसएसओ से संबंधित कई गतिविधियों की समीक्षा की गई है और एनएससी की सिफारिशों को महानिदेशक, एनएसएसओ और एनएसएसओ के संबंधित प्रभागों को भेज दिया गया है। इन समीक्षाओं तथा सिफारिशों का विवरण निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है:

3.2 एनएसएस रिपोर्ट जारी करना:

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, एनएसएसओ ने एनएसएस के 73वें दौर तथा तिमाही ग्रामीण मूल्य संग्रह के आधार पर निम्नलिखित रिपोर्टें जारी की ।

(1) एनएसएस रिपोर्ट सं. 582-''भारत में अनिगमित गैर-कृषि उद्यमों (निर्माण को छोड़कर) की आर्थिक विशेषताओं'' को अगस्त, 2018 के दौरान जारी किया गया ।

(2) जुलाई-सितंबर, 2018 तिमाही के लिए आरपीसी बुलेटिन को अक्तूबर-दिसंबर, 2018 तिमाही के दौरान अंतिम रूप दिया गया परंतु इसे 01.01.2019 को जारी किया गया था ।

3.3 उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) 2015-16 के वाल्यूम-1 तथा परिणाम सार ।

3.4 एएसआई 2016-17 पर आधारित फैक्ट्री सेक्टर हेतु वेबसाइट सारणी, वाल्यूम-1 तथा परिणाम सार प्रकाशित कर दिए गए हैं ।

एनएसएस 75 वें दौर के सारणीयन योजना का अनुमोदन

3.5 आयोग की 102 वीं बैठक में, एनएसएसओ ने एनएसएस के 75 वें दौर के कार्यकारी समूह द्वारा संस्तुत तथा स्वीकृत एनएसएस के 75 वें दौर के सर्वेक्षण के लिए सारणीयन योजना का

ब्यौरा देते हुए (i) परिवार उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (ii) परिवार सामाजिक उपभोग: स्वास्थय तथा (iii) परिवार सामाजिक उपभोग: शिक्षा, पर प्रस्तुतीकरण दिया

3.6 आयोग को सूचित किया गया कि इसी विषय पर पिछले पंचवर्षीय सर्वेक्षण, जिसमें एनएसएस के 68 वें दौर के लिए 6 रिपोर्टें प्रकाशित की गई थीं, की भांति इस सर्वेक्षण में भी पांच रिपोर्टें निकाली जाएंगी । एनएससी ने सारणीयन योजना की नई विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा की । प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टें निम्नानुसार हैं ।

(i) उपभोक्ता व्यय, 2017-18 का स्तर तथा प्रतिरूप
(ii) भारत में विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं का पारिवारिक उपभोग, 2017-18
(iii) पारिवारिक उपभोग की सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य स्रोत, 2017-18
(iv) खाना पकाने तथा रोशनी के लिए भारतीय परिवारों के उर्जा स्रोत 2017-18
(v) भारत में पोषण का सेवन, 2017-18

3.7 एनएसएस के 75 वें दौर के सर्वेक्षण लिए सारणीयन योजना संबंधी चर्चा का सार निम्नानुसार है :

(क) एनएससी ने एमपीसीई के संदर्भ में अखिल भारत वितरण संबंधी सतत विकास लक्ष्यों/संकेतकों बैंक खातों एवं कैशलेस लेनदेन, श्रम ब्यूरों की मांगों तथा सापेक्ष जनसंख्या एवं पारिवारिक वितरण के समाधान के लिए नई सारणी आरंभ करने को सराहा ।

(ख) उपभोक्ता इकाइयों की गणना की नई प्रणाली प्रस्तुत की गई । डा. जे. वी. मीनाक्षी, सदस्य एनएससी ने राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एनआईएन) द्वारा संस्तुत नई प्रणाली के बारे में अपनी चिंता अभिव्यक्त की थी । इन्होंने तर्क दिया कि उनकी जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई कीमतें केवल कुछ राज्यों के आंकड़ों पर आधारित थी, पूरे देश के आंकड़ों पर नहीं । इस बात पर जोर दिया गया था कि एनआईएन एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान होने के कारण इस संबंध में उनके विचारों का कार्यकारी समूहों द्वारा सम्मान किया गया था । हालांकि, सारणियों का दूसरा सेट पूर्व में प्रचलित पुरानी विधि का उपयोग करके तैयार किया जाएगा ।

3.8 एनएससी ने परिवार सामाजिक उपभोग व्यय: स्वास्थय तथा परिवार सामाजिक उपभोग: शिक्षा की सारणीयन योजना सहित परिवार उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के लिए एनएसएस के 75 वें दौर की सारणीयन योजना का अनुमोदन किया ।

3.9 उपर्युक्त सिफारिशें दिनांक 6 अगस्त, 2018 के पत्राचार सं. 17 (1) (102)/एनएससी/2018-19 के माध्यम से एनएसएसओ को अग्रेषित की गई थी ।

(कार्रवाई-सां. और का. कार्या. मं.)

एनएसएस 77 वें दौर का प्रतिचयन डिजाइन और सर्वेक्षण अनुसूचियां

3.10 दिनांक 7.09.2018 को आयोजित 103 वीं बैठक के दौरान, एनएसएसओ ने एनएसएस 77 वें दौर के प्रतिचयन डिजाइन और सर्वेक्षण अनुसूचियों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। एनएसएस 77 वें दौर में, अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश (अनुसूची 18.2) तथा परिवारों की भूमि और पशुधन और कृषि परिवारों की स्थिति मूल्यांकन (अनुसूची 33.1) जैसे विषयों को शामिल किया जाएगा । अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के गांवों जिन तक पहुंचना मुश्किल है, को छोड़कर सर्वेक्षण में संपूर्ण भारतीय संघ को शामिल किया जाएगा ।

3.11 सर्वेक्षण की अवधि 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक के लिए एक वर्ष की होगी, जिसे बाद में दो दौरों में विभाजित किया जाएगा:

दौरा 1 जनवरी - अगस्त 2019 (आठ महीने की अवधि) और दौरा 2 सितंबर - दिसंबर 2019 (चार महीने की अवधि) का होगा।

3.12 सर्वेक्षण की संदर्भ अवधि कृषि वर्ष, अर्थात जुलाई, 2018 से जून, 2019 तक होगी । दौर की सर्वेक्षण अवधि को दो उप-दौरों में विभाजित किया जाएगा। इन दो उप-दौरों में से प्रत्येक में सर्वेक्षण हेतु समान संख्या में प्रतिचयन एफएसयू आवंटित किए जाएंगे जिससे कि पूरी सर्वेक्षण अवधि में प्रतिचयन एफएसयू का समान प्रसार सुनिश्चित किया जा सके ।

3.13 जांच की अनुसूचियां: इस दौर के दौरान, पूछ-ताछ के निम्नलिखित अनुसूचियों का प्रचार-प्रसार किया जाएगा: अनुसूची 0.0: परिवारों की सूची

अनुसूची 18.2: ऋण और निवेश

अनुसूची 33.1: परिवारों की भूमि जोतों और कृषक परिवारों की स्थिति

3.14 प्रतिदर्श डिजाइन इस प्रकार होगा:

i. उप-इकाइयों (एसयूएस) का गठन: ग्रामीण क्षेत्र: एक ग्रामीण गांव, फ्रेम को तैयार करते समय कमोबेश समान आबादी की अनेक उप-इकाइयों में विभाजित किया जाएगा।

ii शहरी क्षेत्र: एसयूएस का गठन शहरी क्षेत्र में भी किया जाएगा। 250 या उससे अधिक परिवारों की संख्या वाले प्रत्येक यूएफएस ब्लॉक अनेक एसयूएस में विभाजित किए जांएगे। शेष यूएफएस ब्लॉकों में, कोई एसयू नहीं बनाया जाएगा।

3.15 प्रतिदर्श डिजाइन की रूपरेखा: 77 वें दौर के सर्वेक्षण के लिए एक स्तरीकृत दो स्तरीय डिजाइन को अपनाया जाएगा। स्थिति के अनुसार गाँव / यूएफएस ब्लॉक / उप-इकाइयाँ (एसयूएस) प्रथम चरण की इकाइयाँ (एफएसयू) होंगी । दोनों क्षेत्रों में अंतिम चरण की इकाइयाँ (यूएसयू) परिवार होंगे ।

3.16 कुल प्रतिदर्श आकार (एफएसयूएस): अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय प्रतिचयन के लिए लगभग 10000 एफएसयूएस का सर्वेक्षण किया जाएगा।

3.17 प्रतिदर्श परिवारों आवंटन और चयन: प्रत्येक अनुसूची प्रकार के लिए एक एफएसयू में सर्वेक्षण किए जाने वाले परिवारों की कुल संख्या निम्नलिखित है:

अनुसूची प्रकार	एसएसएस की संख्या	सर्वेक्षित परिवारों की संख्या		
		ग्रामीण	शहरी	प्रत्येक एसएसएस में प्रतिचयन स्कीम
33.1	5	10 (प्रत्येक एसएसएस से 2 परिवार)	-	एसआरएसडब्ल्यूओआर
18.2	6	12 (प्रत्येक एसएसएस से 2 परिवार)	12 (प्रत्येक एसएसएस से 2 परिवार)	

3.18 प्रस्तावित प्रतिदर्श डिजाइन और सर्वेक्षण अनुसूचियों पर विस्तृत चर्चा के बाद, आयोग ने एनएसएस 77 वें दौर के लिए एनएसएसओ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की।

3.19 उपर्युक्त सिफारिशें दिनांक 9 अक्टूबर, 2018 के पत्राचार सं. 17 (1) (103) / एनएससी / 2018-19 एनएसएसओ को भेज दी गई थीं,

(कार्रवाई: सां. और कार्य. कार्या. मं.)

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के पहले तिमाही आंकड़े

3.20 महानिदेशक, सर्वेक्षण ने आयोग को बताया कि अनुमोदित सारणीयन योजना के अनुसार, पीएलएफएस पर आधारित वार्षिक अनुमान देने वाली पहली रिपोर्ट जुलाई 2017 से जून 2018 की अवधि के आंकड़ों को कवर करते हुए दिसंबर, 2018 तक जारी की जाएगी।

3.21 पीएलएफएस की प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून, 2017) के आंकड़ों का उपयोग करते हुए कोई रिपोर्ट / बुलेटिन प्रस्तावित नहीं है। तथापि, प्रथम तिमाही आंकड़ों को विस्तार से जांचा गया था और आंकड़ों संबंधी टिप्पणियों को डीपीडी के साथ साझा किया गया था । इसका इस्तेमाल स्क्रूटनी प्रोग्राम / रेंज के संशोधन के लिए भी किया गया था। इसके अलावा, इस डेटा का उपयोग कंप्यूटर एडिट प्रोग्राम को तैयार करने में भी किया गया था।

3.22 एजेंडा बिंदु पर चर्चा करते समय, प्रथम वार्षिक रिपोर्ट और साथ ही पीएलएफएस आंकड़ों पर आधारित तिमाही बुलेटिन जारी करने की समयसीमा पर भी चर्चा की गई थी। चर्चा के बाद, एनएससी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रथम वार्षिक रिपोर्ट (जुलाई, 2017-जून, 2018) और साथ ही पीएलएफएस डेटा पर आधारित पहली तिमाही बुलेटिन (जुलाई-सितंबर, 2018) दिसंबर, 2018 तक जारी किया जाएगा ।

3.23 एनएससी ने राष्ट्रीय लेखा प्रभाग (एनएडी) के साथ प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून, 2017) के आंकड़ों को साझा करने की भी मंजूरी दी। इसे दिनांक 9 अक्टूबर, 2018 के पत्र सं. 17 (1) (103)/ एनएससी / 2018-19 के माध्यम से एनएसएसओ को संसूचित किया गया था ।

(कार्रवाई: सां. और कार्य. कार्या. मं.)

एनएसएस 75 वें दौर के इकाई स्तर के आंकड़ों की, 15 वें वित्त आयोग को आपूर्ति

3.24 महानिदेशक, सर्वेक्षण ने आयोग को सूचित किया कि 15 वें वित्त आयोग ने एनएसएसओ से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी दर आदि के आकलन के लिए उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (सीईएस) के 75 वें दौर के इकाई स्तर के आंकड़े उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि एनएसएस 75 वें दौर के आंकड़ा संग्रहण का कार्य जून, 2018 तक पूरा किया जा चुका है और सीईएस के इकाई स्तर के आंकड़ों को जून, 2019 तक प्रसारित करने की संभावना है।

3.25 75 वें दौर की वर्तमान स्थिति के संबंध में आयोग को सूचित किया गया था और बताया गया कि उप-दौर I के लिए डेटा प्रविष्टि और सत्यापन का कार्य लगभग समाप्त हो गया है, जबकि जुलाई, 2018 तक की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार उप दौर-II के लिए यही कार्य लगभग 69% पूरा हो चुका है । शेष उप-दौर के लिए आंकड़ों की प्रविष्टि अभी तक अधिकांश डेटा प्रोसेसिंग केंद्रों में शुरू नहीं हुई है।

3.26 आयोग ने इस स्तर पर 75 वें दौर के इकाई स्तर के आंकड़ों को साझा करने के फायदे तथा नुकसानों पर चर्चा की (जैसा कि पैरा 15 में उल्लिखित है) और यह निर्णय लिया कि वित्त आयोग की विशिष्ट आवश्यकता को निर्धारित किया जा सकता है तथा गरीबी के स्तर का आकलन करने के लिए आवश्यक मैक्रो स्तर की तालिकाओं को प्रथम दो उप-दौरों का उपयोग करके एनएसएसओ द्वारा तैयार किया जा सकता है । इन तालिकाओं को वित्त आयोग को परिणामों की अस्थाई प्रकृति के साथ ही मौसम घटक की संभावनाओं पर सावधानी बरतने के लिए कहते हुए भेजा जा सकता है ।

(कार्रवाई: सां. और का. कार्य.मं.)

एनएसएस रिपोर्ट संख्या 582 की स्वीकृति (73 वें दौर, 2015-16 के दौरान भारत में अनिगमित गैर-कृषि उद्यमों की आर्थिक विशेषता (निर्माण को छोड़कर))

3.27 एनएसएस 73 वें दौर की रिपोर्ट सं.582: 'वर्ष 2015-16 के दौरान भारत में अनिगमित गैर-कृषि उद्यमों (निर्माण को छोड़कर) की आर्थिक विशेषता' को एनएससी की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया था। रिपोर्ट को एनएससी के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा सुझाए गए निम्नलिखित संशोधनों के अध्यधीन स्वीकृत किया गया था:

क. प्रमुख विशेषताओं के बिंदु (vi): श्रमिकों की संख्या का उल्लेख करते समय 'अंशकालिक कर्मिकों को सम्मिलित करते हुए' को कोष्ठकों में शामिल किया जा सकता है।

ख. गैर-बाजार उत्पादन में लगे उद्यमों का निवल मूल्य वर्धन प्रमुख बिंदुओं में शामिल किया जा सकता है । यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि एनवीए (1257.9 करोड़) का हिस्सा जैसा कि इस सर्वेक्षण से आकलन किया गया है सभी उद्यमों के कुल मूल्य की तुलना में बहुत कम है। यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि चूंकि प्रतिदर्श बहुत कम संख्या में हैं अत: अनुमान बहुत विश्वसनीय नहीं हो सकते ।

ग. प्रमुख विशेषताओं का बिंदु (xiii) अध्याय तीन के विवरण 10.1 (प्रमुख राज्यों के लिए व्यापक गतिविधि श्रेणी के लिए बाजार उद्यमों के अनुमानित जीवीए का प्रतिशत वितरण) के बजाए विवरण 10.2 (राज्यों में अनुमानित जीवीए का प्रतिशत विवरण तथा व्यापक गतिविधि श्रेणियों के लिए राज्यों के ग्रामीण जीवीए का हिस्सा) के आधार पर पुन: लिखा जा सकता है

घ. बिंदु (xxi) को हाइलाइट से हटाया जा सकता है।

ड. यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि बिंदुओं (xxii) तथा (xxiii) से संबंधित स्थिर परिसंपत्तियों का मूल्य उद्यमों द्वारा सूचित संदर्भ वर्ष का अंतिम दिन का बाजार मूल्य है ।

च. कार्यकारी समूह के सदस्यों की सूची अनुबंध के रूप में अंतिम रिपोर्ट में शामिल की जा सकती है।

छ. इस रिपोर्ट में यह उल्लेख किया जा सकता है कि रिपोर्ट के आई (73/2.34): भारत में अनिगमित गैर-कृषि उद्यमों (निर्माण को छोड़कर) के प्रमुख संकेतक के जारी होने के बाद जीवीए से संबंधित आंकड़ों में मामूली बदलाव हुए हैं। पाठक और उपयोगकर्ता प्रकाशित रिपोर्ट के प्रमुख संकेतकों (केआई) (73 / 2.20) के आंकड़ों पर चर्चा / उपयोग करते समय परिवर्तनों को ध्यान में रख सकते हैं।

3.28 उपरोक्त सिफारिशें दिनांक 6 अगस्त, 2018 के पत्रचार सं. 17 (1) (102) / एनएससी / 2018-19 के माध्यम से एनएसएसओ को भेज दी गई।

(कार्रवाई: सां. और का. कार्या. मं.)

सूचीबद्ध अनुसूची की छंटाई

3.29 एनएसएसओ ने सूचित किया कि, विस्तृत अनुसूची की छंटाई की प्रक्रिया डीपीडी में तब से जारी है, जब इस विषय में एनएससी की 42 वीं बैठक में यह निर्णय किया गया था कि 'एनएसएस के किसी विशेष दौर की अंतिम रिपोर्ट के प्रकाशन तथा इकाई स्तरीय आंकड़ों के जारी होने के एक वर्ष पश्चात विस्तृत जांच अनुसूची को हटाया जा सकता है' । प्रयुक्त सूचीबद्ध अनुसूची को विभिन्न कार्यप्रणाली अध्ययनों को संचालित करने के लिए संरक्षित किया जाना था । सूचीबद्ध अनुसूची के संचय से जगह की समस्या उत्पन्न हो गई थी अत: इस विषय को स्पष्ट दिशा-निर्देश के लिए एनएससी की 61 वीं बैठक में पुन: प्रस्तुत किया गया था।

3.30 एनएससी की 61 वीं बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिया गया:

i. भरी हुए अनुसूचियों की प्रतियों, जहां संभव हैं, को इलेक्ट्रॉनिक मोड में बनाए रखा जा सकता है (पुनर्प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए उचित अनुक्रमण के साथ) और पेपर अनुसूचियों को समाप्त किया जा सकता है। भविष्य में, सभी भरी सूचीबद्ध हुई अनुसूचियों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में उनके अवधारण के तुरंत बाद में छांटा जा सकता है।

ii. सार्वजनिक क्षेत्र में इकाई स्तर के डेटा रखने के दो साल बाद, विस्तृत पूछताछ अनुसूचियों को समाप्त किया जा सकता है, जब तक कि डेटा के पुन: परीक्षण की आवश्यकता पर सवाल नहीं उठाए गए हों।

3.31 वर्तमान में, एनएसएस के 71 वें दौर तक की विस्तृत अनुसूचियों की छंटाई की जा चुकी है और 72 वें दौर के लिए प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है। सूचीबद्ध अनुसूची की स्कैनिंग को 66 वें दौर तक निष्पादित किया गया है और सूचीबद्ध अनुसूचियों को स्कैनिंग के बाद छांटा जाएगा। 66 वें दौर तक की स्कैनिंग प्रक्रिया में 12 लाख रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं।

3.32 गुणों और अवगुणों पर चर्चा करने के बाद, आयोग ने फैसला किया कि किसी विशेष दौर की अंतिम रिपोर्ट जारी होने के दो साल बाद सूचीबद्ध अनुसूची को छांटा जा सकता है।

3.33 दिनांक 9 अक्टूबर, 2018 के पत्राचार सं. 17 (1) (103) / एनएससी / 2018-19 के माध्यम से उपर्युक्त सिफारिशें एनएसएसओ को भेज दी गईं, ।

(कार्रवाई: सां. और कार्य. कार्या. मं.)

सांख्यिकीय आंकड़ा प्रकटीकरण नियंत्रण के लिए मानक

3.34 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) ने अपनी 4 -5 अगस्त, 2015 के दौरान आयोजित 77 वीं बैठक में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के लिए सिफारिश की थी कि वह माइक्रोडाटा और सर्वेक्षण परिणामों को प्रकाशित करने वाली विभिन्न तालिकाओं के संबंध में सांख्यिकीय आंकड़ा प्रकटीकरण नियंत्रण (एसडीडीसी) के लिए विस्तृत मानक तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करे। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, डा. यू. सी. सूद, निदेशक, आईएएसआरआई, नई दिल्ली की अध्यक्षता में एनएसएसओ द्वारा किए गए प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के लिए सांख्यिकीय प्रकटीकरण नियंत्रण हेतु मानकों को विकसित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया ।

3.35 विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर एनएससी की 91 वीं बैठक में चर्चा की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया कि हितधारकों की टिप्पणियों को आमंत्रित करने के लिए विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन (मंत्रालय की वेबसाइट पर) में रखा जा

सकता है। । वर्तमान बैठक में, एसडीआरडी ने बताया कि तीन संस्थाओं से टिप्पणियां प्राप्त की गई थी ।

3.36 प्राप्त टिप्पणियों पर विस्तृत चर्चा तथा एसडीआरडी द्वारा उन पर की गई टिप्पणी के पश्चात आयोग ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं ।

क. आंकड़ा समीक्षा पैनल की आवश्यकता

एनएसएसओ को बाहरी कार्यसमूह (डब्ल्यूजी) का समर्थन प्राप्त है, जो आयोग द्वारा नियुक्त किए गए डोमेन विशेषज्ञों का एक निकाय है, जिसका कार्य एनएसएसओ को किसी भी विशिष्ट सर्वेक्षण के लिए कार्य के सभी स्तरों पर दिशा-निर्देश देना हैं । एनएससी इस कार्य समूह की सिफारिशों की छानबीन करता है । अत: यह महसूस किया गया था कि किसी विशेष एनएसएस दौर सर्वेक्षण के लिए एक पृथक विशिष्ट आंकड़ा समीक्षा पैनल की आवश्यकता नहीं है । यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण किसी विशेष दौर के लिए डाटा प्रसारण से संबंधित कोई मुद्दा है, कार्य समूह आयोग को इस संबंध में उचित सिफारिश कर सकता है ।

ख. आंकड़ा प्रयोक्ताओं द्वारा और अधिक कड़ी प्रतिबद्धता

एनएसएसओ ने बताया कि डेटा प्रयोक्ताओं को इकाई स्तर के डेटा जारी करते समय, डेटा की निजता संबंधी अहस्तांतरणीय अपेक्षाओं, और तत्संबंधी व्याख्या / निष्कर्षों की जिम्मेदारी के बारे में बताया गया है। एनएसएसओ का विचार था कि डेटा उपयोगकर्ताओं पर बहुत अधिक सख्ती लागू करने से वे हतोत्साहित ही होंगे । इसके अलावा, प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करना लगभग असंभव है। एनएसएसओ द्वारा दिखाई गई दिलचस्पी की सराहना करते हुए, एनएससी ने डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करने और प्रतिबंधों का उपयोग करने के लिए शपथ पत्र लेने की मौजूदा प्रणाली को जारी रखने का निर्णय लिया ।

ग. छोटे राज्यों के आंकड़ों का समूहीकरण

छोटे राज्यों/संघ राज्यों के परिणामों के समूहीकरण के संबंध में, आयोग ने निर्णय लिया कि डेटा संग्रह के विषय की प्रकृति के आधार पर प्रत्येक सर्वेक्षण की जिम्मेदारी लेने के लिए मामले को कार्यसमूहों के विवेकाधिकार पर छोड़ना अधिक बेहतर होगा ।

घ. एनएसएसओ और इसके प्रभाग तथा कंप्यूटर केंद्र प्रसार एजेंसी होने के नाते इनके द्वारा पहले ही स्वीकृत की गई अन्य सभी सिफारिशों और टिप्पणियों को लागू करना चाहिए।

3.37 उपर्युक्त सिफारिशें दिनांक 9 अक्टूबर, 2018 के पत्रचार सं. 17 (1) (103) / एनएससी / 2018-19 के माध्यम से एनएसएसओ को भेज दी गईं ।

(कार्रवाई: सां. और कार्य. कार्या. मं.)

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) वार्षिक रिपोर्ट (जुलाई 2017 से जून 2018)

3.38 आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), मसौदा वार्षिक रिपोर्ट की 2017 - 18 को एनएससी की 105 वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया था। आयोग को सूचित किया गया कि 8 से 9 जनवरी, 2018 के दौरान आयोजित 99 वीं बैठक में एनएससी की सिफारिशों के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट का शीर्षक वॉल्यूम संख्या के साथ सर्वेक्षण का नाम होगा, जैसे भारत में रोजगार पर रिपोर्ट इंडिया वॉल्यूम 1 शीर्षक दिया जा सकता है, जिसमें श्रम बल की विशेषताओं के बारे में जानकारी होगी और वॉल्यूम II में विशेष तालिकाएं दी जा सकती हैं ।

3.39 रिपोर्ट का शीर्षक: यद्यपि, प्रस्तुति के दौरान, सभी सारणियों और संबंधित राइट-अप सहित एक रिपोर्ट लाने का प्रस्ताव किया गया था। पहली वार्षिक रिपोर्ट का शीर्षक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), "वार्षिक रिपोर्ट, 2017-18" होगा।

3.40 प्रथम वार्षिक रिपोर्ट के लिए आंकड़े रिलीज का प्रारूप: पीएलएफएस की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट के इकाई स्तरीय आंकड़े उसी प्रारूप में जारी किए जाएगें जैसा कि रोजगार और बेरोजगारी के पंचवर्षीय सर्वेक्षण के इकाई स्तर के आंकड़ों को जारी करने के लिए किया जाता है। जुलाई 2017- जून 2018 की अवधि के लिए पीएलएफएस की इकाई स्तरीय आंकड़े, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), प्रथम वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 के जारी होने के बाद जारी किए जाएंगे ।

3.41 अनुमानों की संदर्भ अवधि: रिपोर्ट के अध्याय तीन की विवरण तालिकाओं के साथ-साथ विस्तृत सारणी (रिपोर्ट के परिशिष्ट तालिका) में दिए गए विभिन्न संकेतकों के अनुमानों का आंकड़ा संदर्भ और संदर्भ अवधि अध्याय एक में निम्नलिखित प्रारूप में दी जाएगी :

	सारणी	विवरण	डेटा के संबंध में	सर्वेक्षण अवधि	वित्तिय वर्ष (एफ वाई)-2017-18/2018-19 की प्रसंगिक तिमाही
	सारणी 1 से सारणी 41, सारणी 50 से सारणी 61	विवरण 1 से 21, 30 से 50	प्रथम दौरा प्रतिदर्श	जुलाई 2017-जून 2018	वित्तिय वर्ष 2017-18 की तिमाही 2, तिमाही 3 और तिमाही 4 और वित्तिय वर्ष 2018-19 की तिमाही 1
	सारणी 42 से सारणी 48	विवरण 22 से 29	प्रथम दौरा प्रतिदर्श	जुलाई-सितंबर 2017	वित्तिय वर्ष 2017-18 की तिमाही 2
			(i) प्रथम दौरा प्रतिदर्श (ii) जुलाई-सितंबर, 2017 का द्वितय दौरा प्रतिदर्श	अक्तूबर-दिसंबर 2017	वित्तिय वर्ष 2017-18 की 3 तिमाही
			(i) प्रथम दौरा प्रतिदर्श (ii) अक्तूबर-दिसंबर, 2017 का द्वितय दौरा प्रतिदर्श (iii) जुलाई-सितंबर, 2017 तृतीय दौरा प्रतिदर्श	जनवरी-मार्च 2018	वित्तिय वर्ष 2017-18 की तिमाही 4
			(i) प्रथम दौरा प्रतिदर्श (ii) जनवरी-मार्च, 2018 का द्वितीय दौरा प्रतिदर्श (iii) अक्तूबर-दिसंबर, 2017 का तृतीय दौरा प्रतिदर्श (iv) जुलाई-सितंबर, 2017 का चतुर्थ दौरा प्रतिदर्श	अप्रैल-जून 2018	वित्तिय वर्ष 2018-19 की तिमाही 1

3.42 वार्षिक रिपोर्ट के अनुमानों का प्रस्तुतीकरण: सर्वेक्षण अनुमानों के अंशाकन का मुद्दा एनएससी के समक्ष रखा गया था। एलएफपीआर, डब्ल्यूएफपीआर और यूआर पर अंशांकन के प्रभाव को महत्वहीन और उनके संबंधित आरएसई के भीतर दिखाया गया था। आयोग का विचार

था कि सर्वेक्षण अनुमानों का अंशांकन वांछनीय है क्योंकि कई देशों में इसका पालन किया जाता है। तथापि, इसमें आगे और अध्ययन और प्रयोक्ता के दृष्टिकोण से पिछले सर्वेक्षणों के तुलनीय आंकड़ों की उपलब्धता की आवश्यकता है। इससे इकाई स्तर के आंकड़ों को प्रसार के प्रभावित होने की संभावना है जैसा कि वर्तमान में हुआ है। यह निर्णय लिया गया था कि वर्तमान पीएलएफएस रिपोर्ट में केवल सर्वेक्षण आधारित अनुमान शामिल होंगे।

3.43 आईएसआई की मदद से विभिन्न अंशांकन विधियों का उपयोग करके अधिक विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा और अभ्यास पर एक विशेष रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की जा सकती है । आयोग ने अब तक किए गए कार्य के लिए एनएसएसओ तथा आईएसआई पर भी टिप्पणियां की।

3.44 रोजगार जनसंख्या अनुपात (ईपीआर) से कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) के नामावली में परिवर्तन: रिपोर्ट में, संकेतक की प्रस्तावित नामावली 'रोजगार जनसंख्या अनुपात (ईपीआर)' को एनएसएस द्वारा अब तक प्रयोग की जा रही पारंपरिक नामावली 'कामगार-जनसंख्या अनुपात' में परिवर्तन किया जाएगा ।

3.45 विभिन्न सामाजिक समूहों / धार्मिक समूहों के लिए अनुमानों की प्रस्तुति: विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक समूहों / धार्मिक समूहों के छोटे प्रतिदर्श आकारों को ध्यान में रखते हुए, श्रम बल संकेतक (एलएफपीआर, ईपीआर और यूआर) प्रत्येक राज्य/संघ राज्यों के लिए अलग-अलग प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे। इसके बजाय अखिल भारतीय स्तर के अनुमान उपलब्ध करवाए जाएंगे । इसके अलावा, धार्मिक समूहों में, केवल निम्नलिखित के अनुमान प्रस्तुत किए जाएंगे: हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई और सिख धर्म।

3.46 वर्तमान कार्यप्रणाली तथा/या नामावली में से कोई भी विचलन रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाएगा।

3.47 प्रथम बुलेटिन में तिमाही अनुमान जारी करना: प्रथम बुलेटिन दिसंबर, 2018 के बाद जारी किया जाएगा।

3.48 आयोग ने तदनुसार, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), वार्षिक रिपोर्ट, 2017-18 को मंजूरी दी । उक्त सिफारिशें दिनांक 12 दिसंबर, 2018 के पत्राचार सं. 17 (1) (105) / एनएससी / 2018-19 के माध्यम से एनएसएसओ को भेज दी गई थीं ।

(कार्रवाई: सां. और का. कार्या. मं.)

एनएसएस 74वां राउंड

3.49 एनएसएसओ (एसडीआरडी) के अधिकारियों ने एनएसएस 74 वें दौर के परिणामों के संबंध में एक प्रस्तुति दी। उनकी प्रस्तुति के दौरान नीचे दिए गए मुद्दों पर प्रकाश डाला गया और चर्चा की गई थी:

(i) 74 वें दौर में उपयोग किए गए फ्रेम की सीमाएं

(ii) सर्वेक्षण के दौरान बड़ी संख्या में कवरेज से बाहर या गैर-मौजूद इकाइयाँ थी और

(iii) ब्रह्मांड और डोमेन की अपूर्णता से उत्पन्न कार्यप्रणाली संबंधी मुद्दे, उत्तर न देने वालों की अत्याधिक संख्या, समुच्चय के अनुमानों की अपर्याप्तता आदि।

3.50 प्रस्तुत विवरण नीचे संक्षेप में दिए गए हैं:

(क) इस्तेमाल किए गए फ्रेम और सीमाएँ

प्रतिष्ठानों की सैंपलिंग के लिए फ्रेम निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए थे (i) छठी आर्थिक गणना (ईसी) (ii) 12 राज्यों के पास उपलब्ध व्यापार रजिस्टर (बीआर) और (iii) एमसीए डाटाबेस में दिए गए अनुसार 2013-14 के कंपनी अधिनियम के तहत कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय सूची में पंजीकृत ईकाईयां । वर्ष 2014-15 एमसीए डेटाबेस पर आधारित कुछ अतिरिक्त कंपनियों को भी सूची में जोड़ा गया।

(ख) 74 वें दौर के लिए फ्रेम का अद्यतन

सर्वेक्षण को दो चरणों में आयोजित किए जाने की अवधारणा की गई थी।

(i) चरण I: फ्रेम अद्यतन

(क) सर्वेक्षण अवधि के प्रथम चरण में ईसी तथा बीआर अधिष्ठानों की सूची फ्रेम से सर्वेक्षण के दायरे में आने वाले उपयुक्त उपक्रमों (जैसा कि एकल इकाईयों के रूप में कार्य कर रहे अथवा ऑडिट किए गए/ऑडिट योग्य खातों को रखने वाले मुख्यालय के तौर पर कार्य कर रहे वर्तमान उपक्रम) की सूची तैयार की गई ।

(ख) ईसी तथा बीआर की सूची फ्रेम के सभी उद्यम (जैसे सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा स्वंय सहायता समूहों को छोड़कर ईसी तथा बीआर की सर्वेक्षण के दायरे में आने वाले वे

अधिष्ठान जिनमें 10 या उससे अधिक कामगार है) को प्रथम चरण में सत्यापित तथा अद्यतनीकरण किया गया था

(ग) द्वितीय चरण में विस्तृत अनुसूची प्रचार के लिए ईसी तथा बीआर फ्रेम से प्रतिदर्श अधिष्ठान का चयन प्रथम चरण के उपयुक्त अधिष्ठानों के सूची से किया गया था ।

(घ) संपूर्ण ईसी तथा बीआर सूची फ्रेम अधिष्ठानों को निम्नलिखित दो समूहों में विभाजित किया गया था ।

समूह 1: (i) 16 या उससे अधिक कार्मिकों वाले सभी अधिष्ठान तथा

(ii) शेष में से, उन राज्योंxबीएसी (व्यापक गतिविधि कोड) के संयोजन से संबंधित वो सभी अधिष्ठापन जिनमें प्रत्येक के पास 10 से कम अधिष्ठान हो ।

समूह-2: समूह-1 बनाने के पश्चात शेष अधिष्ठान

(ड.) क्षेत्र संकार्य प्रभाग ने चरण 1 के उपयुक्त अधिष्ठानों की सूची तैयार करने के लिए समूह 1 के सभी अधिष्ठानों का सत्यापन और अद्यतनीकरण किया । द्वितीय चरण के ईसी तथा बीआर फ्रेम से प्रतिचयन अधिष्ठानों के चयन के लिए केवल प्रथम चरण के उपयुक्त अधिष्ठानों की सूची का उपयोग किया गया था । ईसी तथा बीआर में किसी प्रकार के दोहरीकरण को भी ध्यान में रखा गया ।

(च) समूह-2 के सभी अधिष्ठान सत्यापन तथा अद्यतन किए जाने के लिए राज्य डीईएस को उपलब्ध करवाये गए थे ।

(छ) सत्यापन के पश्चात चरण 1 के 63090 अधिष्ठापनों को, चरण II के प्रतिदर्श अधिष्ठापनों का चयन करने के लिए ईसी तथा बीआर हेतु, अधिष्ठापनों के प्रतिदर्श फ्रेम गठित करने के लिए पात्र पाया गया ।

(ii) चरण II: सर्वेक्षण का संचालन

(क) विस्तृत अनुसूची (अनुसूची2.35) का ईसी, बीआर तथा एमसीए फ्रेम से चयनित सेवा क्षेत्र के प्रतिदर्श अधिष्ठानों को चरण II में प्रचार किया गया था । विस्तृत अनुसूची का ईसी तथा बीआर फ्रेम के साथ- साथ एमसीए फ्रेम से भी सर्वेक्षण के लिए उपयुक्त पाए गए कुछ बड़े निर्माणकारी अधिष्ठानों में प्रचार किया गया था ।

(ख) ईसी तथा बीआर फ्रेम: चरण I से पात्र अधिष्ठानों का नवीकृत फ्रेम तैयार करने के पश्चात, इन सभी अधिष्ठापनों को दो सेक्टरों अर्थात पूर्ण गणना तथा प्रतिदर्श सेक्टर में निम्नानुसार बांटा गया:

(i) पूर्ण गणना: 55 या उससे अधिक कार्मिको वाले सभी अधिष्ठानों की पूर्ण गणना की गई थी तथा स्टेट X बीएसी को एक स्तर के रूप में मानकर शेष अधिष्ठानों को स्तरों में बांटा गया था। स्टेट X बीएसी संयोजन से संबंधित सभी अधिष्ठानों जिनमें 6 से कम पात्र अधिष्ठान है पर पूर्ण गणना के लिए विचार किया गया था ।

(ii) प्रतिदर्श सेक्टर: प्रतिदर्श क्षेत्र पूर्ण गणना के लिए इकाईयों की पहचान के बाद शेष अधिष्ठापनों से लिए गए थे ।

(ग) एमसीए फ्रेम: एमसीए के फ्रेम में 3,49,500 अधिष्ठान थे । ईसी तथा बीआर फ्रेम के समान इस सर्वेक्षण के लिए विचार किए गए संपूर्ण गैर-वित्तिय एमसीए डाटाबेस को दो सेक्टरों में बांटा गया था ।

(i) पूर्ण गणना: पूर्ण गणना के तहत निम्नलिखित तीन श्रेणियों को लिया गया:

(क) सालाना 20 करोड़ या इससे अधिक राजस्व वाली कंपनियां,

(ख) 100 से भी कम कंपनियों वाले राज्यों (यथा अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, दमन तथा दीव, दादर एवं नागर हवेली, लक्ष्यद्वीप तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह) की सभी कंपनियां,

(ग) राज्य X उद्योग समूह के सम्मिलन को स्तर के रूप में मानकर सभी शेष कंपनियों का स्तरीकण कर दिया गया था । 5 से कम इकाईयों वाली राज्य X उद्योग समूह (स्तर) से संबंधित सभी कंपनियों पर पूर्ण गणना के लिए विचार किया गया था ।

(ii) प्रतिदर्श क्षेत्र: पूर्ण गणना के लिए ईकाइयों को चिन्हित किए जाने के बाद शेष कंपनियों को प्रतिदर्श क्षेत्र में लिया गया ।

3.51 नियोजित प्रतिदर्श आकार तथा प्रभावी प्रतिदर्श आकार: एमसीए फ्रेम से लिए गए 3,5,456 अधिष्ठानों सहित ईसी/बीआर से 27,964 अधिष्ठानों को सेवा क्षेत्र से चुना गया था । कुल

63,420 उद्यमों में से 42,262 उद्यम (आवंटित प्रतिदर्श के 67 प्रतिशत) जांच अनुसूची के प्रचार के समय प्रचालनरत थी ।

3.52 सर्वेक्षण के दौरान कुछ कार्यप्रणाली मुद्दे सामने आए हैं, जिन्हें निम्नानुसार सूचीबद्ध किया गया है:

(i) सर्वेक्षण के दौरान अस्तित्वहीन तथा बंद पायी गई ईकाईयां: सर्वेक्षण के वास्तविक संचालन के दौरान बड़ी संख्या में इकाईयां अस्तित्वहीन या बंद पायी गई थी ।

फ्रेम का प्रकार	चयनित उद्यमों की संख्या	प्रचालनरत (प्रतिशत)	अस्तित्वहीन (प्रतिशत)	बंद पाई गई (प्रतिशत)
ईसी	25231	83.1	12.0	4.9
बीआर	2733	72.3	22.1	5.6
एमसीए	35456	54.5	38.7	6.8
सभी	63420	66.6	27.3	6.0

(क) एनसीए फ्रेम से चयनित ईकाईयों के मामले में समस्या गंभीर थी । एमसीए की लगभग 45 प्रतिशत ईकाइयां प्रचालनरत नहीं थी जबकि ईसी/बीआर फ्रेम की लगभग 18 प्रतिशत ईकाइयां प्रचालनरत नहीं थी ।

(ख) एमसीए की 39 प्रतिशत अस्तित्वहीन ईकाईयों में से, 19 प्रतिशत कवरेज से बाहर पाई गई तथा 12 प्रतिशत (जो कि लगभग 4000 इकाईयां है) का कोई पता नहीं था । ईसी तथा बीआर फ्रेम के मामले में क्रमश: लगभग 6 प्रतिशत तथा 13 प्रतिशत कवरेज से बाहर थी तथापि दोनों फ्रेमों के अद्यतनीकरण उपलब्ध थे ।

(ii) बहुत बड़ी मात्रा में उत्तर न देना: फ्रेम की सीमाओं के परिणामस्वरूप उत्तर न देने की दर प्रतिदर्श अधिष्ठानों का लगभग एक तिहाई था । यह प्रतिदर्श के प्रतिनिधित्व की प्रमुख हानि है।

जब भौगोलिक डोमेन (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) या अधिष्ठापन की गतिविधियों के डोमेन पर विचार किया जाता है, विभिन्न डोमेनों में उत्तर न देने की दर में अत्यधिक भिन्नता दिखाई देती है । अत: प्रतिदर्शों से अनुमान की डोमेन में सुदृढ़ता प्रदान नहीं करते ।

(iii) ब्रहमाण्ड और डोमेन की अपूर्णता: चरण 1 में केवल समूह 1 के अधिष्ठान अद्यतनीकरण हेतु लिए गए थे और सर्वेक्षण के लिए फ्रेम के रूप में उनका उपयोग किया गया था । समूह 2 के प्रतिष्ठान; जिनके अद्यतनीकरण का कार्य राज्यों पर छोड़ा गया था, का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया था । अधिष्ठान समूह 2 अधिष्ठान में ईसी तथा बीआर फ्रेम के वे अधिष्ठापन शामिल थे, जिनमें केवल 10-15 कामगार थे इनमें उन अधिष्ठानों को छोड़ा गया था, इनमें वे अधिष्ठान थे, जिन्हें राज्य X बीएसी (वृहत गतिविधि को) का अध्ययन करने के लिए समूह 1 में शामिल किया गया था तथा संयुक्त रूप से प्रत्येक में 10 से कम अधिष्ठान थे ।

(क) एमसीए फ्रेम में, कार्मिकों के संबंध में कोई शर्त नहीं थी, क्योंकि न तो फ्रेम में सूचना उपलब्ध थी न ही इसका अद्यतनीकरण किया गया था । संचालित अधिष्ठानों के प्रतिदर्श में, लगभग 20 प्रतिशत अधिष्ठानों में कर्मिकों की संख्या 10 से कम थी ।

(ख) अत:, जब ईसी/बीआर फ्रेम में 10 से कम कार्मिकों वाले प्रतिष्ठानों (जो अधिष्ठान भी थे) को पूर्ण रूप से छोड़ दिया, उनमें से अनेक को एमसीए फ्रेम में शामिल कर दिया गया था । अत: सर्वेक्षण की रूपरेखा ठीक ढंग से परिभाषित नहीं थी तथा इससे सर्वेक्षण परिणामों की व्याख्या में गंभीर विसंगतियां दिखाई दीं ।

(ग) सर्वेक्षण के कवरेज के लिए उपयोग में ली गई सूची फ्रेम में अधिष्ठापनों की कुल संख्या 4,12,548 थी ।

(घ) हालांकि देश/राज्यों में सेवा क्षेत्र उपक्रमों की संख्या के विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध नहीं है, पिछले सेवा कर डाटाबेस के साथ व्यापक तुलना इंगित करती है कि 74 वें दौर की सूची फ्रेम में शामिल किए गए अधिष्ठानों की संख्या बहुत कम हो सकती है ।

(iv) समग्र के अनुमानों की अपर्याप्तता:

(क) अत: फ्रेम का परिमाप अत्याधिक छोटा हो सकता है तथा समग्र अनुमानों को बहुत कम करके आंका जा सकता है एवं इसकी व्याख्या करने में मुश्किल हो सकती है ।

(ख) इसके प्रमाण को काफी हद तक इस तथ्य से मजबूती मिली है कि 74 वें दौर के परिणामों से प्राप्त बाजार अधिष्ठानों के अनुमानित कुल जीवीए (857125 करोड़ रुपए), एनएसएस के 73वें दौर से प्राप्त सेवा क्षेत्र में बाजार अधिष्ठानों के लिए कुल जीवीए (876613 करोड़ रुपए, दो सर्वेक्षणों हेतु एक ही कवरेज के लिए समायोजन के पश्चात) जो की केवल अनिगमित क्षेत्र तक के लिए सीमित था, की तुलना में कम है ।

(ग) अनुमानित अधिष्ठानों की कुल संख्या 2.29 लाख है जबकि फ्रेम, जिससे प्रतिदर्श का चयन किया गया था के अनुसार अधिष्ठानों की संख्या 4.12 लाख थी । प्रतिदर्श में काम कर रही इकाईयों की संख्या 67 प्रतिशत थी ।

3.53 एनएसएस 74 वें दौर पर विस्तृत चर्चा के पश्चात आयोग ने निम्नलिखित निर्णय किए:

(i) एनएसएस का 74 वां दौर सेवा क्षेत्र के वार्षिक सर्वेक्षण की प्रस्तावना के रूप में माना गया था । एनएसएसओ को एनएसएस के 74 वें दौर के संबंध में तकनीकी रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए । एक सामान्य पूर्ण रिपोर्ट की बजाए पर्याप्त आपत्तियों के साथ एक तकनीकी रिपोर्ट (टीआर) के रूप में सर्वेक्षण से प्राप्त अनुपातों को प्रकाशित करना उचित होगा । सर्वेक्षण के अनुभवों तथा परिणाम, सेवा क्षेत्र के प्रस्तावित वार्षिक सर्वेक्षण के डिजाइन में सुधार करने के लिए लाभदायक रूप से उपयोग किए जा सकते है ।

(ii) प्रमुख संकेतकों के दस्तावेज तथा नियोजित रिपोर्टें (परिचालित विशेषताएं तथा आर्थिक विशेषताएं) प्रकाशित नहीं की जानी चाहिए । तकनीकी रिपोर्ट (टीआर) में सर्वेक्षण के अनुभवों पर प्रकाश डाला जाना चाहिए । चूंकि 74वें दौर सर्वेक्षण के चालू अनुमानों की विश्वसनीयता का निर्धारण करने तथा अनुपातों की तुलना करने के लिए कोई भी विश्वसनीय पूर्व अनुमान नहीं है । सर्वेक्षण की सीमाओं पर विस्तृत चर्चा की जानी चाहिए।

(iii) तकनीकी रिपोर्ट में केवल दरें तथा अनुपात शामिल किए जांए तथा समुच्चयों के कोई अनुमान प्रकाशित नहीं किए जाने चाहिए ।

(iv) एनएसएसओ द्वारा दरों तथा अनुपातों के परिणामों के दो सेट तैयार किए जाने चाहिए: एक गुणक का उपयोग करके तथा दूसरा बिना गुणक के उपयोग से तैयार अनुमान । परिणामों के दोनों सेटों का अध्ययन करने के पश्चात, किसी एक सेट को प्रकाशित करने का निर्णय लिया जायेगा ।

(v) प्रत्येक फ्रेम (ईसी, बीआर तथा एमसीए) के लिए भी परिणाम तैयार किए जाने चाहिए तथा परिणाम फ्रेम के द्वारा प्रकाशित किया जाना चाहिए या संयुक्त फ्रेम के आधार पर, इसका निर्णय किया जा सकता हैं ।

(vi) अधिष्ठानों तथा प्रतिष्ठानों के लिए पृथक-पृथक परिणामों पर विचार किया जा सकता है ।

(vii) उपर्युक्त अध्ययन तथा विश्लेषण, एनएससी तथा डब्ल्यूजी के सदस्यों को उनके विचार तथा टिप्पणियों के लिए परिचालित किया जाए, इसके पश्चात तकनीकी रिपोर्ट के विषयवस्तु के संबंध में निर्णय को अंतिम रूप दिया जायेगा ।

3.54 उपर्युक्त सिफारिशें दिनांक 14 जनवरी, 2019 के पत्राचार संख्या 17(1)(107)/एनएससी/2018-19 के माध्यम से एनएसएसओ को अग्रेषित कर दी गई थी ।

(कार्रवाई: सां. और का. कार्या. मं.)

अध्याय- 4

राज्य आर्थिक सांख्यिकीय निदेशालय की सांख्यिकीय गतिविधियों की समीक्षा

4.1 एनएससी को अन्य कार्यों के साथ-साथ वर्तमान संस्थानिक तंत्र के सुदृढ़ीकरण को शामिल करते हुए सांख्यिकीय गतिविधियों के संबंध में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के साथ प्रभावी समायोजन हेतु उपाय विकसित करने का अधिदेश प्राप्त है । इस उद्देश्य हेतु, आयोग ने कुछ राज्यों की सांख्यिकीय गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की । इस अध्याय में आयोग द्वारा राज्यों की सांख्यिकीय गतिविधियों की समीक्षा का उल्लेख किया गया है ।

उत्तराखंड की राज्य सांख्यिकीय प्रणाली की समीक्षा

4.2 डीईएस ने आयोग को सूचित किया कि वर्ष 2009 में उन्हें विभिन्न विभागों से संग्रहित आकड़ों की गुणवत्ता तथा प्रामाणिकता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य में सभी सांख्यिकीय गतिविधियों हेतु नोडल एजेंसी घोषित किया था । निदेशालय अलग-अलग अवधियों में 10 नियमित प्रकाशन भी निकालता है । प्रकाशन मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं ।

4.3 स्नातक तथा स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम डीईएस की नई पहल है, जो अत्यधिक सफल रही है तथा अब सभी विभागों हेतु इंटर्नशिप प्रोग्राम के नीति विकसित की जा रही है । वर्तमान में जारी विभिन्न डीईएस कार्यक्रमों जैसे आईआईपी, सीपीआई, मजदूरी सूचकांक, गांवों के अनुसार आकड़ें, ग्रामीण विकास के आकड़ों का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है तथा एसएसएस परियोजना के तहत 9 माड्यूल तैयार किये जा रहे है तथा 6 अध्ययन, जिनका संभवतया अगले वित्त आयोग द्वारा अगली आर्थिक गणना के लिए उपयोग किया जा सकता है , को पूरा कर लिया गया है । उत्तराखंड की शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या का गरीबी आकलन तथा सामाजिक अनुवीक्षण सर्वेक्षण के संबंध में एक अध्ययन एनएसएस के सहायक आकड़ों (अर्थात पुराने आकड़ों) का उपयोग करते हुए पूरा किया गया है तथा जिला स्तरीय अनुमान प्राप्त कर लिए गए है । अब यह कार्य एसएसएस परियोजना के अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर किया जायेगा । एसडीजी में सतत पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक के समान एक सूचकांक विकसित किया गया है इसमें आईएसआई के समर्थन से एसडीजी के 10 लक्ष्यों के अंतर्गत 30 ध्येयों को शामिल किया जायेगा । भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (आईआईएफएम) द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन

प्रदान किया गया है । डीईएस की अन्य नई पहल में सकल पर्यावरणीय उत्पाद (जीईपी) तथा प्राकृतिक संसाधन लेखा-जोखा के लिए फ्रेमवर्क विकास तथा वन संसाधन लेखा-जोखा के विकास सहित पारिस्थितिक तंत्र के मूल्यांकन शामिल है । इसके लिए आंकड़े वनों के कार्य योजना विभाग से लिए जा रहे हैं । इस वर्ष ई-शेड्यूल के संबंध में 20 सूत्री कार्यक्रमों का टेब आधारित सर्वेक्षण "कागज रहित आंकड़ा संग्रहण" का अभियान प्रस्तावित है । डीईएस एनएसएसटीए द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेता है । डीईएस के बीस सूत्री सेल को राज्य एसडीजी सेल के तौर पर नामित किया गया है ।

4.4 उत्तराखण्ड सरकार के कृषि विभाग ने इस बात पर जोर दिया था कि पहाड़ी जिलों के 80 प्रतिशत गांवों में विभिन्न फसलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का शामिल नहीं किया जा रहा है । पहाड़ी जिलों में निचले स्तर पर जैसे कि न्याय पंचायतों, ग्रामपंचायतों के आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं । आंकड़े एकत्रित करने तथा फील्ड से राज्य मुख्यालय को उनका स्थानांतरण करने के लिए स्मार्टफोन, टेबलेट तथा कम्प्यूटर का उपयोग समय की मांग है । इसके अलावा यह भी सुझाव दिया गया था कि गुणवत्तापरक वास्तविक समय आंकड़ों का कैप्चर सुनिश्चित करने के लिए आंकड़ों का वैद्यीकरण ग्राम स्तर पर किया जाना चाहिए, ना कि जिला स्तर पर ।

4.5 राज्य बागवानी विभाग ने सूचित किया कि फील्ड में 319 मोबाईल टीम कार्य कर रही हैं तथा आंकड़ों के सत्यापन के लिए आईएसआरओ के स्पेस मैपिंग के साथ इसे जोड़ने का काम किया जा रहा है ।

4.6 सूक्ष्म, लघु तथा माध्यम उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड सरकार ने सूचित किया कि उद्योग आधार ज्ञापन (युएएम) राज्य में उद्योगों के लिए एक ऑनलाइन पंजीकृत प्रणाली है जो एकल पृष्ठ पंजीकरण फार्मेट में है किंतु यह विश्वसनीय नहीं पाया गया । बहुत से सूक्ष्म ईकाइयां केवल ऋण/लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकृत है तथा आने वाले समय में बंद की जा सकती है। सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग की चौथी गणना के परिणामों के अनुसार पंजीकृत ईकाइयों का लगभग 25 प्रतिशत बंद है । बंद ईकाईयों को अंपजीकृत नहीं किया जा रहा है । अत: सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग की गणना के अनुसार तथा डीआईसीएस के अनुसार पंजीकृत इकाईयों की संख्या में अत्याधिक भिन्नता है । इसके अलावा, डीईएस तथा एमएसएमई द्वारा आईआईपी की परिभाषा सुमेलित किए जाने की आवश्यकता है ।

4.7 महानिदेशक, स्वास्थय:, उत्तराखण्ड सरकार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आंकड़ों का एकत्रीकरण रेपिड रिपोर्टिंग सिस्टम, जो केंद्र सरकार में स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित प्रारूप है, के माध्यम से किया जा रहा है । राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत स्मार्ट फोन के माध्यम से गंभीर रूप से कुपोषित (एसएएम) तथा सामान्य रूप से कुपोषित (एमएएम) बच्चों का पता लगाया जाता है । इसके अलावा, तय दिवस दृष्टिकोण जैसे प्रत्येक माह की पांचवी तारीख को बच्चे का वजन किया जाता है तथा उसकी अनुवीक्षा की जाती है । परिवार का पंजीकरण भी ऑनलाइन किया जाता है ।

4.8 वन विभाग ने बताया कि प्रभागीय स्तर पर तैयार किए गए आंकड़ें सर्वप्रथम वन संरक्षक, उसके बाद संभागीय प्रमुख तथा अंत में राज्य मुख्यालय को भेजे जाते हैं । क्षेत्र कार्य/सर्वेक्षण/डाटा संग्रहण, कार्य योजना के अंतर्गत पर्यावरण तथा वन मंत्रालय (एमओईएफ) तथा मुख्य वन संरक्षक, भारत सरकार के द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना कोड-2014 के अनुसार वन प्रभाग की कार्य योजनाओं के परिशोधन तथा तैयार करने की नियमित प्रक्रिया के तहत किया जाता है । एमआईएस तथा अन्य एप्लीकेशन, जिन्हें कार्यान्वित किया जाना है में वन अग्नि सजग सूचना प्रणाली, मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन प्रणाली, वन्य जीव अपराध डाटा बेस आदि शामिलहैं तथा ई-मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एच आर एम एस) का विकास किया जा रहा है ।

4.9 शिक्षा विभाग ने आयोग को शिक्षा हेतु एकीकृत जिला सूचना प्रणाली, (यू-डीआईएसई), जिसका जिला/ब्लॉक/कलस्टर प्राधिकारियों के माध्यम से प्रत्येक स्कूल से डाटा एकत्रीकरण करने के लिए उपयोग किया जा रहा है, से अवगत कराया था । मासिक तथा वार्षिक सूचना एमडीएम डाटा एकत्रीकरण प्रारूप के माध्यम से स्कूल स्तर पर एकत्रित की जाती है तथा भारत सरकार की पोर्टल के माध्यम से खण्ड स्तर पर ऑनलाइन इनका अद्यतनीकरण किया जाता है । अध्यापकों की तैनातियां, अवसंरचना तथा निवल नामांकन दर (एनईआर) तथा जीईआर डाटा के आधार पर की जाती है तथा वर्तमान में प्राथमिक/प्रारंभिक स्तर पर कोई रिक्ति नहीं है परंतु माध्यमिक स्तर पर लगभग 30 प्रतिशत पद खाली हैं। विद्यार्थियों का पता लगाने के लिए एसडीएमआईएस डाटाबेस का उपयोग किया जा रहा है तथा कमजोर विद्यार्थियों के लिए उपचारी कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं । डाटाबेस का उपयोग उन बच्चों को चिन्हित करने तथा मुख्य धारा में लाने के लिए किया जा रहा है, जो शिक्षा प्रणाली के कारण पिछड़ गये थे या प्रवास के

कारण प्रभावित हुए थे तथा उनकी अब आवासीय पूल पाठयक्रम के माध्यम से सहायता की जा रही है । बाद में, इन बच्चों को औपचारिक स्कूल प्रणाली में शामिल कर लिया जाता है ।

4.10 राज्य में प्रत्येक विभाग का एक सांख्यिकी स्कंध है तथा डीईएस एवं विभागों के सांख्यिकी स्कंध के बीच बेहतर एकीकरण तथा संबंध समय की मांग है । बहुधा हम कोष्ठागार तथा कक्षों में कार्य कर रहे हैं तथा आंकड़ों को पर्याप्त रूप से साझा नहीं कर रहे हैं । उदाहरण के लिए, आईसीडीएस तथा स्वास्थय में हमें बहुत अधिक आंकड़ों को साझा करने की आवश्यकता है, चाहे गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताओं या कुपोषित बच्चों आदि का पता करना हो । स्कीमों/विभागों में आंकड़ों का बहुत कम आदन प्रदान होता है । डाटा प्रबंधन के माध्यम से परिणामों को बढ़ाने की अत्याधिक आवश्यकता है ।

अनुबंध 1

रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन)-04/0007/2003—05 REGISTERED No. DL—(N)-04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19] नई दिल्ली, शनिवार, मई 9—मई 15, 2015 (वैसाख 19, 1937)

No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 9—MAY 15, 2015 (VAISAKHA 19, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटैन्ट्स ऑफ इंडिया
(चार्टर्ड एकाउंटैन्ट्स)

नई दिल्ली, दिनांक 6 अप्रैल 2015

स0 1— सीए(7)/(168)/2015—चार्टर्ड एकाउंटैन्ट्स अधिनियम, 1988 के विनियम 159(1) के अनुसरण में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की परिषद्, मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की एक शाखा की दिनांक 10–02–2015 से हरिद्वार शहर, उत्तराखंड में स्थापना को अधिसूचित करती है।

यह शाखा मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की हरिद्वार शाखा के नाम से जानी जायेगी।

इस शाखा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हरिद्वार, रूड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार तथा उत्तराखंड के अन्य सभी शहर/स्थान आयेंगे जो कि हरिद्वार शहर के शहरी सीमा के 50 किलोमीटर दूरी के अन्तर्गत स्थित हैं।

परिणामस्वरूप, हरिद्वार तथा रूड़की, उत्तराखंड में जो कि अधिसूचना स01–सी0ए0(7)/(48)/2000 दिनांक 7 अप्रैल, 2000 के कारण अब तक सहारनपुर शाखा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते थे, अब सहारनपुर शाखा से अलग कर दिए गये हैं तथा सहारनपुर शाखा के संशोधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सहारनपुर तथा उत्तर प्रदेश के अन्य शहर/स्थान जो कि सहारनपुर शहर की शहरी सीमा के 50 किलोमीटर दूरी के अंतर्गत हैं, आयेंगे। तदनुसार, अधिसूचना स01–सी0ए0(7)/(48)/2000 दिनांक 7 अप्रैल, 2000 संशोधित मानी जाए।

जैसा कि विनियम 159(3) में विहित किया गया है, हरिद्वार एवं सहारनपुर शाखाएं परिषद् के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा निर्देशों के अधीन रहते हुए मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की मार्फत कार्य करेगी तथा ऐसे निर्देशों का पालन करेगी, जो परिषद् द्वारा समय–समय पर जारी किये जायेंगे।

वी. सागर
कार्यकारी सचिव

स0 1– सीए(7)/(169)/2015––चार्टर्ड एकाउंटैन्ट्स अधिनियम, 1988 के विनियम 159(1) के अनुसरण में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की परिषद, मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की एक शाखा की दिनांक 10–02–2015 से हल्द्वानी शहर, उत्तराखंड में स्थापना को अधिसूचित करती है।

यह शाखा मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की हल्द्वानी शाखा के नाम से जानी जायेगी।

इस शाखा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हल्द्वानी, काठगोदाम, नैनीताल, पन्तनगर, रूद्रपुर तथा अन्य सभी शहर/स्थान आयेंगे, जो कि हल्द्वानी शहर के शहरी सीमा के 50 किलोमीटर दूरी के अंतर्गत स्थित हैं।

जैसा कि विनियम 159(3) में विहित किया गया है, यह शाखा परिषद् के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा निर्देशों के अधीन रहते हुए मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की मार्फत कार्य करेगी तथा ऐसे निर्देशों का पालन करेगी, जो परिषद् द्वारा समय–समय पर जारी किये जायेंगे।

वी. सागर
कार्यकारी सचिव

स0 1– सीए (7)170/2015––चार्टर्ड एकाउंटैन्ट्स अधिनियम, 1988 के विनियम 159(1) के अनुसरण में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की परिषद् दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद् की एक शाखा की दिनांक 10–02–2015 से कालाबुरगी (गुलबरगा जिले) में स्थापना को अधिसूचित करती है।

यह शाखा दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद् की कालाबुरगी (गुलबरगा) शाखा के नाम से जानी जायेगी।

इस शाखा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कालाबुरगी (गुलबरगा जिले) के सभी स्थान आयेंगे।

जैसा कि विनियम 159(3) में विहित किया गया है, यह शाखा परिषद् के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा निर्देशों के अधीन रहते हुए दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद् की मार्फत कार्य करेगी तथा ऐसे निर्देशों का पालन करेगी, जो परिषद् द्वारा समय–समय पर जारी किये जायेंगे।

वी. सागर
कार्यकारी सचिव

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल 2015

सं.1/एनएससी-2014-खण्ड.III—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खण्ड-4 में दिनांक 1 जून, 2005 को अधिसूचना सं. 85 के रूप में प्रकाशित सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के संकल्प सं.ए11011/1/2005-प्रशा.I में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं:

1) पैरा 2 के अंतर्गत उप पैरा (ग) में 'सचिव, योजना आयोग' के स्थान पर 'मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था)' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं ।

2) पैरा 3 के अंतर्गत उप पैरा (i) में 'उपाध्यक्ष योजना आयोग' के स्थान पर 'उपाध्यक्ष नीति आयोग' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं ।

2. यह संशोधन 24 मार्च, 2015 के तिथि से लागू होगा ।

अरुण कुमार यादव
संयुक्त सचिव

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
(CHARTERED ACCOUNTANTS)

New Delhi, the 6th April 2015

No.1-CA(7)/(168)/2015—In pursuance of Regulation 159(1) of the Chartered Accountants Regulations 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a branch of Central India Regional Council at Haridwar, Uttrakhand with effect from 10th February, 2015.

The Branch shall be known as Haridwar Branch of the Central India Regional Council.

The jurisdiction of the Branch shall include Haridwar, Roorkee, Rishikesh, Kotdwar and all cities/places within a distance of 50 Km. from Haridwar city limits.

Consequently, Haridwar and Roorkee in Uttrakhand which hitherto been under jurisdiction of Saharanpur Branch in Uttar Pradesh (U.P.) by virtue of notification bearing no. 1-CA(7)/48/2000 dated 07th April, 2000, henceforth have been ceded from jurisdiction of Saharanpur Branch and revised jurisdiction of Saharanpur Branch will include Saharanpur and other cities/places in U.P. within a distance of 50 Km. from Saharanpur city limits. Accordingly, notification bearing no.1-CA(7)/(48)2000 dated 7th April, 2000 stands amended.

As prescribed under Regulation 159(3), both Haridwar and Saharanpur Branches shall function subject to the control, supervision and directions of the Council through the Central India Regional Council and shall carry out such directions as may, from time to time, be issued by the Council.

V. SAGAR
Acting Secretary

No.1-CA(7)/(169)/2015— In pursuance of Regulation 159(1) of the Chartered Accountants Regulations 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a branch of Central India Regional Council at Haldwani, Uttrakhand with effect from 10th February, 2015.

The Branch shall be known as Haldwani Branch of the Central India Regional Council.

The jurisdiction of the Branch shall include Haldwani, Kathgodam, Nanital, Pantnagar, Rudrapur and all cities/places within a distance of 50 Km. from Haldwani city limits.

As prescribed under Regulation 159(3), the Branch shall function subject to the control, supervision and directions of the Council through the Central India Regional Council and shall carry out such directions as may, from time to time, be issued by the Council.

V. SAGAR
Acting Secretary

No.1-CA(7)/(170)2015—In pursuance of Regulation 159(1A) of the Chartered Accountants Regulations 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a branch of Southern India Regional Council in Kalaburgi (Gulbarga District), Karnataka with effect from 10th February, 2015.

The Branch shall be known as Kalaburgi (Gulbarga) Branch of the Southern India Regional Council.

The jurisdiction of the Branch shall include all the places within Kalaburgi (Gulbarga) District.

As prescribed under Regulation 159(3), the Branch shall function subject to the control, supervision and directions of the Council through the Southern India Regional Council and shall carry out such directions as may, from time to time, be issued by the Council.

V. SAGAR
Acting Secretary

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Delhi-110 001, the 7th April 2015

No. 1/NSC-2014-Vol.III.—In the Government of India, Ministry of Statistics and Programme Implementation Resolution No. A-11011/1/2005-Ad-I, published as Notification No. 85 on 1st June 2005 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III Section 4, the following amendments are made:

(1) In sub-paragraph (c) under paragraph 2, in place of the words 'Secretary, Planning Commission', the words 'Chief Executive Officer of the NITI Aayog (National Institution for Transforming India)' shall be substituted.

(2) In sub-paragraph (i) under paragraph 3, in place of the words 'Deputy Chairman of the Planning Commission', the words 'Vice-Chairperson of the NITI Aayog' shall be substituted.

2. This amendment comes into effect from 24th March, 2015.

ARUN KUMAR YADAV
Joint Secy.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART III—SEC.4]—121 +1 + 1 = 123 Copies

अनुबंध 2

फाइल सं. 8 (64)/2010-एनएससी

एफ. न. 8(64)/2010-एनएससी
भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्याक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग सचिवालय

द्वितीय तल, सरदार पटेल भवन,
संसद मार्ग, नई दिल्ली
5 अक्टूबर 2016

आदेश

विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी) की सहायता के लिए व्यावसायिक समितियां गठित करने का मुद्दा काफी समय से इसके विचाराधीन है। अब एनएससी द्वारा 5 व्यावसायिक समितियों का गठन करने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक समिति की संरचना तथा विचारार्थ विषयों का ब्यौरा अनुबंध में उपलब्ध है।

2. इन समितियों से एसएनए 2008 तथा उस पर पैरा 1.59 के अनुसार जीडीपी का अनुमान लगाने, संकलित डाटा एवं आहरित अनुमानों की गुणवत्ता, समयबद्धता एवं विश्वसनीयता के लिए डाटा अनुमान के लिए सांख्यिकी की आवश्यकता को शामिल करने, सूचना प्रौद्योगिकी, वितरित नेटवर्क एवं क्लाउड का पूर्ण लाभ उठाकर डाटा के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली एवं अधुनातन प्रणाली का लेखा परीक्षा ट्रायल एवं डाटा सत्यनिष्ठा प्रदान करने की अपेक्षा है। प्रणाली से यथासंभव उद्योग, भूगोल, समय, आकार, वर्ग आदि के विभिन्न आयामों के अनुसार विखंडित स्तर पर डाटा एवं अनुमान उपलब्ध कराने की भी अपेक्षा है जिससे वास्तविक प्रेक्षणों के आधार पर नीति तथा उनके मूल्यांकन के लिए गहरी समझ प्राप्त होगी।

3. शुरू में सभी व्यावसायिक समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष होगा। एनएससी तिमाही आधार पर प्रत्येक समिति द्वारा की गई प्रगति की निगरानी करेगी। प्रत्येक समिति एनएससी के अनुमोदन के अधीन आवश्यकता के आधार पर सदस्य (सदस्यों) को सहयोजित कर सकती है।

4. समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर सरकारी सदस्य 1000 रुपए प्रतिदिन की दर से बैठक शुल्क के लिए हकदार होंगे। समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर सरकारी सदस्यों के लिए टीए / डीए की पात्रता तथा यात्रा व्यय की लागत केन्द्र सरकार के संयुक्त

सचिव के समान होगी।

5. समितियों को सचिवालयी सहायता संबंधित कार्यालयों द्वारा प्रदान की जाएगी, जहां समितियों के सदस्य सचिव काम कर रहे हैं। समितियों पर व्यय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा एनएससी को आवंटित योजनेतर बजट से वहन किया जाएगा।

6. यह संस्वीकृति मुख्य लेखांकन प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी की जा रही है। आंतरिक वित्त प्रभाग की सलाह डायरी संख्या 1113/एएस एंड एफए दिनांक 4 अक्टूबर 2016 के माध्यम से सूचित की गई है।

7. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है।

(दीपक मेहरा)
निदेशक, एनएससीएस,
टेलीफैक्स : 011-23367127, 28
ईमेल : depak.mehra36@gov.in,
nsc.secretariat@nic.in

वितरण :

1. समतियों के अध्यक्ष, सह अध्यक्ष एवं सदस्य
2. समिति में सदस्य नामित करने के लिए अनुरोध के साथ सचिव, डीआईपीपी
3. समिति में सदस्य नामित करने के लिए अनुरोध के साथ सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
4. समिति में सदस्य नामित करने के लिए अनुरोध के साथ सचिव, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
5. समिति में सदस्य नामित करने के लिए अनुरोध के साथ सचिव, वित्त मंत्रालय
6. समिति में सदस्य नामित करने के लिए अनुरोध के साथ सचिव, कृषि मंत्रालय
7. समिति में सदस्य नामित करने के लिए अनुरोध के साथ सचिव, शहरी विकास मंत्रालय
8. समिति में सदस्य नामित करने के लिए अनुरोध के साथ सचिव, वित्तीय सेवा विभाग
9. समिति में सदस्य नामित करने के लिए अनुरोध के साथ अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, रेलवे मंत्रालय
10. डॉ. संतोष मैथ्यू, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय
11. डॉ. पिनाकी चक्रबर्ती, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान
12. समिति में सदस्य नामित करने के लिए अनुरोध के साथ महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
13. महानिदेशक, वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय

14. महानिदेशक, श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
15. समिति में सदस्य नामित करने के लिए अनुरोध के साथ सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
16. समिति में सदस्य नामित करने के लिए अनुरोध के साथ महालेखा नियंत्रक
17. कार्यपालक निदेशक, सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम), भारतीय रिजर्व बैंक
18. कार्यपालक निदेशक, आर्थिक विश्लेषण एवं नीति विभाग (डीईएपी), भारतीय रिजर्व बैंक
19. प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, राजकीय लेखा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक
20. समिति में सदस्य नामित करने के लिए अनुरोध के साथ अध्यक्ष, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
21. समिति में सदस्य नामित करने के लिए अनुरोध के साथ महानिदेशक, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय
22. समिति में सदस्य नामित करने के लिए अनुरोध के साथ महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय
23. मुख्य महाप्रबंधक, आर्थिक अनुसंधान, सेबी
24. कार्यपालक निदेशक, सूचना प्रणाली प्रभारी, जीवन बीमा निगम
25. संयुक्त सचिव, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
26. मुख्य महाप्रबंधक, सूचना प्रबंध प्रणाली, नाबार्ड
27. समिति में सदस्य नामित करने के लिए अनुरोध के साथ प्रधान सचिव, वित्त, महाराष्ट्र सरकार
28. समिति में सदस्य नामित करने के लिए अनुरोध के साथ प्रधान सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश सरकार
29. समिति में सदस्य नामित करने के लिए अनुरोध के साथ प्रधान सचिव, वित्त, तमिलनाडु सरकार
30. समिति में सदस्य नामित करने के लिए अनुरोध के साथ प्रधान सचिव, वित्त, पश्चिम बंगाल सरकार
31. समिति में सदस्य नामित करने के लिए अनुरोध के साथ प्रधान सचिव, वित्त, असम सरकार
32. अपर महानिदेशक, राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, सीएसओ
33. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, गुजरात
34. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश
35. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, पुड्डूचेरी
36. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, आंध्र प्रदेश
37. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, पंजाब

38. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, महाराष्ट्र
39. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कर्नाटक
40. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, ओडिशा
41. अपर महानिदेशक, एफओडी, एनएसएसओ
42. महाप्रबंधक, सूचना प्रौद्योगिकी, सेबी
43. मुख्य महाप्रबंधक, सूचना प्रौद्योगिकी प्रभारी, नाबार्ड
44. अपर महानिदेशक, कंप्यूटर केंद्र
45. सूचना प्रबंध के प्रभारी सलाहकार, सांख्यिकी एवं सूचना प्रंबंध विभाग (डीआईएसएम), भारतीय रिजर्व बैंक
46. अपर महानिदेशक, डीपीडी, एनएसएसओ

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. अध्यक्ष, एनएससी के प्रधान निजी सचिव
2. सदस्य, राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
3. सचिव, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव
4. महानिदेशक, सीएसओ के प्रधान निजी सचिव
5. निदेशक एवं विभागाध्यक्ष, एमओएसपीआई
6. निदेशक (समन्वय), एमओएसपीआई
7. निदेशक (आईएफडी), एमओएसपीआई
8. प्रधान भुगतान एवं लेखा अधिकारी
9. उप लेखा नियंत्रक, एमओएसपीआई
10. भुगतान एवं लेखा अधिकारी, एमओएसपीआई, नई दिल्ली / कोलकाता / नागपुर
11. अनुभाग अधिकारी, एमओएसपीआई, रोकड़ अनुभाग / सामान्य अनुभाग / प्रशासन अनुभाग

(दीपक मेहरा)

अनुबंध

I. रीयल सेक्टर सांख्यिकी पर समिति

संरचना :

1.	डॉ. बी बी भट्टाचार्य, पूर्व वाइस चांसलर, जेएनयू ए-44, सर्वे सांझी, प्लाट नंबर 8, सेक्टर 9, द्वारका ईमेल : bbbhattacharya1@gmail.com	अध्यक्ष
2.	डॉ. प्रताप नारायण,"(पूर्व में एनएडी, सीएसओ से)"बी 286, योजना विहार, दिल्ली - 110092	सह अध्यक्ष
3.	डॉ. ए सी कुलश्रेष्ठ पूर्व अपर डीजी, सीएसओ (एनएडी) 208 ई, एमआईजी फ्लैट्स राजौरी गार्डन, नई दिल्ली - 110027 टेलीफोन नंबर : 011-25972191 ईमेल : ackulshreshtha@yahoo.com	सह अध्यक्ष
4.	प्रो. विमल के राय भारतीय सांख्यिकी संस्थान, 203, बीटी रोड, कोलकाता-700108	गैर सरकारी सदस्य
5.	प्रो. विश्वनाथ गोल्डर आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय एंक्लेव, नार्थ कैंपस, दिल्ली - 110007 टेलीफोन नंबर : 011-27677101 मोबाइल : 919811443161 ईमेल :bng@iegindia.org	गैर सरकारी सदस्य
6.	डॉ. रतिन राय, निदेशक, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, 18/2, सत्संग विहार मार्ग, विशेष संस्थानिक क्षेत्र (जेएनयू के पास), नई दिल्ली - 110067	गैर सरकारी सदस्य

	टेलीफोन नंबर : 26569303, 26569780, 26569784 ईमेल : rrl@nipfp.org.in	
7.	श्री अशोक कुमार विशनदास पूर्व उप महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय ईमेल : avishandass@gmail.com	गैर सरकारी सदस्य
8.	श्री आलोक कार, अतिथि वैज्ञानिक, भारतीय सांख्यिकी संस्थान (प्रतिदर्श एवं आधिकारिक सांख्यिकी यूनिट), द्वितीय तल, एएन कोलमोगोरोव भवन (नया अकादमिक भवन), 203, बैरकपुर ट्रंक रोड, कोलकाता - 700108 मोबाइल : 91-9038003368 ईमेल :alokekar@gmail.com	गैर सरकारी सदस्य
9.	डॉ. एस चंद्रशेखर, एसोसिएट प्रोफेसर, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, जनरल ए के वैद्य मार्ग, गोरेगांव पूर्व, मुंबई - 400065 ईमेल :chandra@igidr.ac.in Mob. 9594031318	गैर सरकारी सदस्य
10.	प्रो. पामी दुआ, प्रोफेसर एवं हेड, अर्थशास्त्र विभाग, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली - 110007 ईमेल : dua@econdse.org Mob. : 9810153341	गैर सरकारी सदस्य
11.	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग से प्रतिनिधि	सदस्य
12.	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्रतिनिधि	सदस्य
13.	कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से प्रतिनिधि	सदस्य
14.	वित्त मंत्रालय से प्रतिनिधि	सदस्य
15.	सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम), आरबीआई से प्रतिनिधि	सदस्य
16.	आर्थिक विश्लेषण एवं नीति विभाग (डीईएपी), आरबीआई से प्रतिनिधि	सदस्य
17.	कृषि मंत्रालय से प्रतिनिधि	सदस्य
18.	बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण से प्रतिनिधि	सदस्य

19.	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय से प्रतिनिधि	सदस्य
20.	शहरी विकास मंत्रालय से प्रतिनिधि	सदस्य
21.	वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय से प्रतिनिधि	सदस्य
22.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से प्रतिनिधि	सदस्य
23.	निदेशक, डीईएस, गुजरात	सदस्य
24.	निदेशक, डीईएस, उत्तर प्रदेश	सदस्य
25.	निदेशक, डीईएस, पुड्डूचेरी	सदस्य
26.	एडीजी (एनएडी), सीएसओ	सदस्य सचिव

विचारार्थ विषय :

1. एसएनए 2008 के अनुसरण में क्षेत्रीय सांख्यिकी सहित रीयल सेक्टर की सांख्यिकी में सुधार के लिए कार्रवाई हेतु अपेक्षित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग तथा परवर्ती समितियों की सिफारिश के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करना।

2. समयबद्धता में सुधार की संभावना के साथ इन सांख्यिकी के संग्रहण, मिलान एवं प्रसार के लिए प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं को सुदृढ करने हेतु उपयुक्त उपायों की सिफारिश करना।

3. प्राथमिक स्रोतों से ग्रैनुलर डाटा के संग्रहण के लिए मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग का जायजा लेना और समेकित प्रणाली के गहन अभियान के माध्यम से (1) प्रोसेसिंग एवं (2) आवधिक लेखा परीक्षा के लिए प्रणाली स्थापित करने हेतु उपयुक्त उपायों की सिफारिश करना तथा डाटा आधान के लिए नोडल एजेंसी की सिफारिश करना।

4. डाटा के प्रसार के लिए वर्तमान प्रणाली की जांच करना और अंतर्राष्ट्रीय मानक अर्थात एसडीडीएस के अनुसार सुधार के लिए उपायों की सिफारिश करना।

II. वित्तीय क्षेत्र सांख्यिकी पर समिति

संरचना :

1.	प्रो. रवीन्द्र एच ढोलकिया, भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद ईमेल : rdholkia@iima.ae.in	अध्यक्ष
2.	प्रो. जयंत आर वर्मा, भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद ईमेल : irvarma@iima.ac.in	गैर सरकारी सदस्य
3.	प्रो. दीपक सेतिया,	गैर सरकारी सदस्य

	भारतीय प्रबंध संस्थान, इंदौर ईमेल :sethiad@iimidr.ac.in	
4.	प्रो. केजीके सुब्बा राव, पूर्व सलाहकार, डीएसआईएम, आरबीआई मोबाइल : 9869720819	गैर सरकारी सदस्य
5.	प्रो. एन आर भानूमूर्ति, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान,18/2, सत्संग विहार मार्ग, विशेष संस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली – 110067 ईमेल : nrbmurthy@gmail.com	गैर सरकारी सदस्य
6.	राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, सीएसओ से प्रतिनिधि	सदस्य
7.	सीजीएम, आर्थिक अनुसंधान, सेबी से प्रतिनिधि	सदस्य
8.	सूचना प्रणाली, एलआईसी के प्रभारी कार्यपालक निदेशक	सदस्य
9.	महानिदेशक, वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय	सदस्य
10.	संयुक्त सचिव, आईटी प्रणालियां, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	सदस्य
11.	बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण से प्रतिनिधि	सदस्य
12.	सीजीएम, सूचना प्रबंध प्रभारी, नाबार्ड	सदस्य
13.	वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय से प्रतिनिधि	सदस्य
14.	सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम), आरबीआई से प्रतिनिधि	सदस्य
15.	आर्थिक विश्लेषण एवं नीति विभाग (डीईएपी), आरबीआई से प्रतिनिधि	सदस्य
16.	सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंध विभाग, आरबीआई के प्रभारी कार्यपालक निदेशक	सदस्य सचिव

विचारार्थ विषय :

1. ग्रैनुलर डाटा प्राप्त करने के लिए एकीकृत प्रणाली हेतु उपायों का सुझाव देने के उद्देश्य से निधि सांख्यिकी के प्रवाह की प्रोसेसिंग, संग्रहण के लिए मौजूदा प्रणाली की समीक्षा करना;
2. राज्य स्तर पर अनुमान उपलब्ध कराने के लिए संभावना की तलाश करना एवं उपयुक्त विधि एवं तंत्र का सुझाव देना;
3. समयबद्धता में सुधार के लिए संभावना के साथ इन सांख्यिकी के संग्रहण, मिलान एवं प्रसार के लिए प्रणाली एवं प्रक्रियाओं को सुदृढ करने हेतु उपयुक्त उपायों की सिफारिश करना;
4. प्राथमिक स्रोतों से ग्रैनुलर डाटा के संग्रहण के लिए मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग का जायजा लेना और समेकित प्रणाली के गहन अभियान के माध्यम से (1) प्रोसेसिंग एवं (2)

आवधिक लेखा परीक्षा के लिए प्रणाली स्थापित करने हेतु उपयुक्त उपायों की सिफारिश करना तथा डाटा आधान के लिए नोडल एजेंसी की सिफारिश करना;

5. डाटा के प्रसार के लिए वर्तमान प्रणाली की जांच करना और अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार सुधार के लिए उपायों की सिफारिश करना।

III. राजकोषीय सांख्यिकी पर समिति

संरचना :

1.	डॉ. डी के श्रीवास्तव, पूर्व निदेशक, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, डी 85, सिंगल टन फ्लोर, साउथ सिटी 2, गुडगांव मोबाइल : 9560065860 ईमेल : dkscloud@gmail.com	अध्यक्ष
2.	मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय	सह अध्यक्ष
3.	प्रो. पुलिन नायक, दिल्ली स्कूल आफ इकोनॉमिक्स, नई दिल्ली ईमेल :pulin@econdse.org	गैर सरकारी सदस्य
4.	डॉ. एरोल डिसूजा भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद ईमेल : errol@iima.ac.in	गैर सरकारी सदस्य
5.	डॉ. संतोष मैथ्यू, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय ईमेल : asmathew@ias.gov.in	सदस्य
6.	राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, सीएसओ से प्रतिनिधि	सदस्य
7.	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र से प्रतिनिधि	सदस्य
8.	कार्यपालक निदेशक, आर्थिक नीति एवं अनुसंधान विभाग (डीईपीआर), आरबीआई	सदस्य
9.	लेखा महानियंत्रक का आईटी प्रमुख	सदस्य
10.	आईटी प्रभारी (बजट), महाराष्ट्र	सदस्य
11.	आईटी प्रभारी (बजट), उत्तर प्रदेश	सदस्य
12.	आईटी प्रभारी (बजट), तमिलनाडु	सदस्य
13.	आईटी प्रभारी (बजट), पश्चिम बंगाल	सदस्य
14.	आईटी प्रभारी (बजट), असम	सदस्य
15.	रेल मंत्रालय से प्रतिनिधि	सदस्य
16.	प्रधान सीजीएम, सरकारी लेखा विभाग, आरबीआई	सदस्य
17.	डॉ. पिनाकी चक्रवर्ती, राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान	सदस्य सचिव

विचारार्थ विषय :

1. राजकोषीय सांख्यिकी में सुधार के लिए कार्रवाई हेतु अपेक्षित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए राजकोषीय सांख्यिकी के आधान के लिए संस्थानिक तंत्र पर राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग तथा एनएससी की परवर्ती समितियों की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करना;

2. समयबद्धता में सुधार की संभावना के साथ इन सांख्यिकी के संग्रहण, मिलान एवं प्रसार के लिए प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने हेतु उपयुक्त उपायों की सिफारिश करना;

3. प्राथमिक स्रोतों से ग्रैनुलर डाटा के संग्रहण के लिए मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग का जायजा लेना और समेकित प्रणाली के गहन अभियान के माध्यम से (1) प्रोसेसिंग एवं (2) आवधिक लेखा परीक्षा के लिए प्रणाली स्थापित करने हेतु उपयुक्त उपायों की सिफारिश करना तथा डाटा आधान के लिए नोडल एजेंसी की सिफारिश करना;

4. डाटा के प्रसार के लिए वर्तमान प्रणाली की जांच करना और अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार सुधार के लिए उपायों की सिफारिश करना।

IV. ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली पर समिति

संरचना :

1.	डॉ. अशोक नाग, निदेशक, विश्लेषण में उत्कृष्टता केन्द्र, एनएम विश्वविद्यालय, मुंबई ईमेल : ashok.nag@gmail.com	अध्यक्ष
2.	प्रो. अभिमान दास, भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद ईमेल : abhiman@nma.ac.in	गैर सरकारी सदस्य
3.	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से प्रतिनिधि	सदस्य
4.	वित्त मंत्रालय से प्रतिनिधि	सदस्य
5.	एनएडी, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय से प्रतिनिधि	सदस्य
6.	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र से प्रतिनिधि	सदस्य
7.	श्रम ब्यूरो से प्रतिनिधि	सदस्य
8.	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग से प्रतिनिधि	सदस्य

9.	अपर महानिदेशक, एफओडी, एनएसएसओ	सदस्य
10.	सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम), आरबीआई से प्रतिनिधि	सदस्य
11.	महाप्रबंधक, आईटी, सेबी	सदस्य
12.	आईटी प्रभारी सीजीएम, नाबार्ड	सदस्य
13.	रेल मंत्रालय से प्रतिनिधि	सदस्य
14.	निदेशक, डीईएस, आंध्र प्रदेश	सदस्य
15.	निदेशक, डीईएस, पंजाब	सदस्य
16.	एडीजी, कंप्यूटर केन्द्र	सदस्य सचिव

विचारार्थ विषय :

1. आउटपुट, इनपुट, कीमत, व्यय, रोजगार आदि पर ग्रैनुलर डाटा प्राप्त करने की ऑनलाइन प्रणाली के लिए उपायों का सुझाव देने के उद्देश्य से मूल आधिकारिक सांख्यिकी अर्थात आईआईपी, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, एएसआई, उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण, रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण आदि के संग्रहण के लिए मौजूदा प्रणाली की समीक्षा करना।

2. गुणवत्ता एवं समयबद्धता में सुधार की संभावना के साथ इन सांख्यिकी के ऑनलाइन स्वचालित संग्रहण के लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिश करना।

3. प्राथमिक स्रोतों से ग्रैनुलर डाटा के ऑनलाइन संग्रहण के लिए टेम्प्लेट का सुझाव देना और उनकी तैनाती हेतु अवसंरचना सृजित करने के तरीकों का सुझाव देना।

V. विश्लेषण पर समिति

संरचना :

1.	प्रो. एन एल शारदा, कंप्यूटर विज्ञान विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई ईमेल : nls@cse.iib.ac.in	अध्यक्ष
2.	डॉ. के आर मुरली मोहन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ईमेल : krmm@nic.in	सह अध्यक्ष
3.	डॉ. ए सी कुलश्रेष्ठ पूर्व अपर डीजी, सीएसओ (एनएडी)	गैर सरकारी सदस्य

	208 ई, एमआईजी फ्लैट्स राजौरी गार्डन, नई दिल्ली - 110027 टेलीफोन नंबर : 011-25972191 ईमेल : ackulshreshtha@yahoo.com	
4.	प्रो. पुलक घोष, प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय, कोलकाता मोबाइल : 9742065806	गैर सरकारी सदस्य
5.	श्री प्रमोद वर्मा, पूर्व मुख्य वास्तुकार, यूआईडीएआई प्रौद्योगिकी केन्द्र, एनटीआई लेआउट, टाटा नगर, कोडिगीहल्ली, बेंगलुरू - 560092 ईमेल : pramodkvarma@gmail.com	गैर सरकारी सदस्य
6.	डॉ. अशोक के. नाग, निदेशक, विश्लेषण में उत्कृष्टता केन्द्र, एनएम विश्वविद्यालय, मुंबई ईमेल : ashok.nag@gmail.com	गैर सरकारी सदस्य
7.	डॉ. प्रवीण श्रीवास्तव, डीडीजी (रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	सदस्य
8.	एडीजी, एनएडी, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय	सदस्य
9.	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र से प्रतिनिधि	सदस्य
10.	सूचना प्रबंध के प्रभारी सलाहकार, डीएसआईएम, आरबीआई	सदस्य
11.	एडीजी, पीडीपी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय	सदस्य
12.	महानिदेशक, वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय	सदस्य
13.	वित्त मंत्रालय से प्रतिनिधि	सदस्य
14.	कृषि मंत्रालय से प्रतिनिधि	सदस्य
15.	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्रतिनिधि	सदस्य
16.	निदेशक, डीईएस, महाराष्ट्र	सदस्य
17.	निदेशक, डीईएस, कर्नाटक	सदस्य
18.	निदेशक, डीईएस, उत्तर प्रदेश	सदस्य
19.	निदेशक, डीईएस, ओडिशा	सदस्य
20.	एडीजी, कंप्यूटर केन्द्र	सदस्य सचिव

विचारार्थ विषय :

1. राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली के लिए आधान पर सर्वोत्तम प्रथाओं का सर्वेक्षण करना;

2. विश्लेषण की दृष्टि से केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय तथा वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय में डाटा संग्रहण, मिलान एवं प्रसार की मौजूदा प्रणाली की समीक्षा करना। कम से कम एक राज्य पर भी विचार किया जा सकता है, यदि संभव हो;

3. मूल सांख्यिकी जो राष्ट्रीय लेखा का अंग है, विशेष रूप से कॉर्पोरेट सांख्यिकी, राजकोषीय सांख्यिकी आदि के लिए (1) डाटा अभिशासन और (2) डाटा के बहुआयामी प्रेक्षण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने हेतु उपयुक्त उपायों की सिफारिश करना;

4. सीएसओ, एनएसएसओ तथा डीजीसीआईएस एवं अप्लीकेशन साफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रापण प्रक्रिया में प्रवाहित होने वाली मूल सांख्यिकी पर डाटा आधान के लिए प्रौद्योगिकी संरचना के लिए विस्तृत दृष्टिकोण का सुझाव देना;

5. उपर्युक्त विभागों द्वारा विश्लेषण के निर्माण के लिए व्यावहारिक अनुभव हेतु उपर्युक्त संबंधित विभागों द्वारा संचालित की जाने वाली प्रायोगिक परियोजना का मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण करना। प्रायोगिक परियोजना से पूर्ण विकसित आधान के निर्माण की संभावना पर भी विचार किया जा सकता है।

सं.19020/294/ई.4
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)

नई दिल्ली : 10 अगस्त 1994

कार्यालय ज्ञापन

विषय : आयोगों / समितियों के आउटस्टेशन गैर सरकारी सदस्यों को टीए / डीए का भुगतान

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समितियों / आयोगों में नामित आउटस्टेशन, गैर सरकारी सदस्यों के संबंध में 'क' श्रेणी के शहरों में होटल में प्रवास के लिए दैनिक भत्ता (डीए) इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 19020/294/ई.4 दिनांक 23 जून 1986 के माध्यम से 300 रुपए प्रतिदिन निर्धारित किया गया था। पिछले वर्षों में होटलों के कमरों के किरायों में वृद्धि के फलस्वरूप विभिन्न मंत्रालयों / विभागों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि आउटस्टेशन गैर सरकारी सदस्यों के लिए महानगरों में 300 रुपए प्रतिदिन की दर से अच्छे होटल में एकल कमरा प्राप्त करना कठिन हो रहा है।

2. इस विभाग में मामले पर विचार किया गया है तथा निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समितियों / आयोगों में नामित आउटस्टेशन, गैर सरकारी सदस्यों को एकल कमरे के किराए की प्रतिपूर्ति की अनुमति प्रदान की जाएगी तथा 23 जून 1986 के कार्यालय ज्ञापन में निहित अनुदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए दैनिक भत्ता निम्नानुसार होगा :

(i) किसी राज्य अतिथि में रेंट या मीडियम रेंज के आईटीडीसी होटल जैसे कि लोधी होटल, कुतुब होटल, जनपथ होटल, अशोक यात्री निवास या राज्य सरकार के स्वामित्व वाले टूरिस्ट होटल / हॉस्टल या इंडिया इंटरनेशनल सेंटर तथा इंडिया हैबिटेट सेंटर जैसी पंजीकृत सोसाइटी द्वारा प्रदान किए गए आवासीय आवास में एकल कमरा के लिए रेंट की प्रतिपूर्ति

अथवा

(ii) प्राइवेट लॉज / होटल में प्रवास के लिए रूम रेंट की उपलब्धता निर्धारित सीमा तक जारी रहेगी।

(iii) बोर्डिंग के प्रयोजनार्थ सर्वोच्च श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को यथाग्राह्य डीए की साधारण दरों के 90 प्रतिशत की दर से दैनिक भत्ता।

(iv) उपर्युक्त के अलावा आउटस्टेशन, गैर सरकारी सदस्य संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग के निर्णय के अनुसार बैठक शुल्क के लिए हकदार होंगे।

3. तथापि, वाहन प्रभारों की दर वही बनी रहेगी जो कार्यालय ज्ञापन संख्या 8 (64)/2010-एनएससी दिनांक 28 जुलाई 1992 में वर्णित है।

4. ये सुविधाएं केवल उच्चाधिकार प्राप्त समितियों / आयोगों के नामित आउटस्टेशन, गैर सरकारी सदस्यों पर लागू होंगी तथा तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

5. 23 जून 1986 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित अन्य शर्तों एवं नियमों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(पी के शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि :
1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग
2. सभी वित्तीय सलाहकार

अनुबंध 3

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 22, 2018/फाल्गुन 3, 1939
No. 69] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 22, 2018/PHALGUNA 3, 1939

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2018

(भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् की सेवा शर्तें)

सं.1/एनएससी-2017.— सक्षम प्राधिकारी, भारत के मुख्य साख्यिकीविद् के लिए सेवा शर्तें निम्नानुसार अनुमोदित करते हैं:—

1. चयन प्रक्रिया: भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् के पद के लिए ऐसे भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित की जाएं जिन्हें किसी बड़े सांख्यिकीय संगठन में प्रमाणित सांख्यिकी तथा प्रबंधकीय अनुभव हो। भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए समय-समय पर गठित खोज समिति, रिक्ति भरने के लिए आवेदकों में से नामों के पैनल की संस्तुति करेगी। आवेदकों के अतिरिक्त, खोज समिति पद के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले अन्य व्यक्तियों के नामों की भी संस्तुति कर सकती है।

2. भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् के पद के लिए विचार-योग्य आवेदक, पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को 55 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होना चाहिए, जैसा खोज समिति द्वारा निर्धारित किया जाए।

3. भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा जिसे अगले दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा, अर्थात कुल पांच वर्ष अथवा उसके अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा/होगी।

4. भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् भारत सरकार के सचिव के लिए यथा स्वीकार्य वेतन तथा भत्तों और सरकारी आवास जैसी अन्य सुविधाओं के हकदार होंगे।

5. सक्षम प्राधिकारी को, यदि आवश्यक समझें, तो आपवादिक मामलों में उपर्युक्त दिए गए अर्हता मापदंडों में यथोचित छूट देने का अधिकार होगा।

6. उपर्युक्त सेवा शर्तें तत्काल प्रभावी होंगी और भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् के लिए उपबंधों के संदर्भ में असहमति की सीमा तक, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड-4 में प्रकाशित संकल्प सं. 85, दिनांक 1 जून, 2005, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3-उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. 465 दिनांक 10.05.2006 तथा भारत के राजपत्र साप्ताहिक (9-15 मई 2015) में प्रकाशित अधिसूचना सं.19 में दिए गए उपबंधों का अधिक्रमण करेंगी।

अरुण कुमार यादव, संयुक्त सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./441/17]

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2018

(Service Conditions for the Chief Statistician of India)

No.1/NSC-2017.—The Competent Authority approves the service conditions for the Chief Statistician of India, as under:—

1. Selection procedure: Applications may be invited for the position of Chief Statistician of India from Indian Nationals with proven statistical and managerial experience in a large statistical organization. A Search Committee constituted by the Government of India from time to time for the purpose will recommend a panel of names for filling a vacancy from amongst the applicants. Besides the applicants, the Search Committee may also recommend names of other persons considered suitable for the position.

2. The applicants considered for the position of Chief Statistician of India should not be more than 55 years of age as on the last date for application to the position, as may be determined by the Search Committee.

3. Chief Statistician of India, will have a tenure of three years extendable by a further period of two years, i.e. a total of five years or till he/she attains the age of superannuation, whichever is earlier and will be eligible for reappointment.

4. Chief Statistician of India will be entitled to salary and allowances and other facilities like Government accommodation, as admissible to a Secretary to the Government of India.

5. The Competent Authority reserves the right to suitably relax the eligibility criteria given above, if considered necessary, in exceptional cases.

6. The above service conditions will come into immediate effect and shall, to the extent of disagreement in respect of provisions for Chief Statistician of India, supersede the provisions given in the Resolution No. 85, dated 1st June, 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III-Section-4, in the Notification No. 465 dated 10.05.2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II-Section-3-Sub-Section (ii) and in the Notification No. 19 published in the Gazette of India Weekly (9-15 May 2015).

ARUN KUMAR YADAV, Jt. Secy.

[ADVT.-III /4/Exty. /441/17]

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.02.23 22:17:57 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

अनुबंध 4

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 299] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 4, 2018/भाद्र 13, 1940
No. 299] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 4, 2018/BHADRA 13, 1940

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2018

सं. 13(1)/एनएससी/2018(भाग).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में प्रकाशित दिनांक 1 जून, 2005 के संकल्प सं. 85 का पैराग्राफ 3 को निम्नानुसार तत्काल प्रभाव से अधिक्रमित किया जाता है:—

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन, इस प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा समय-समय पर विधिवत गठित खोज समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर किया जाएगा।

2. उपर्युक्त के परिणामस्वरूप, भारत के साप्ताहिक राजपत्र (9-15 मई, 2015) में प्रकाशित अधिसूचना सं.19 के पैरा 1 में उप-खंड 2 को समाप्त कर दिया गया है।

अरूण कुमार यादव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2018

No. 13(1)/NSC/2018 (Pt.).—Paragraph 3 of the Resolution No. 85 dated 1st June 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4, stands superseded with immediate effect, as under:—

The Chairman and Members of the National Statistical Commission will be selected on the basis of the recommendations of a Search Committee duly constituted by the Government of India from time to time for the purpose.

2. Consequent to above, Sub clause 2 in Para 1 of Notification No. 19 published in the Gazette of India Weekly (9-15 May 2015) stands deleted.

ARUN KUMAR YADAV, Jt. Secy.

5145 GI/2018

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.09.04 22:27:[illegible]-05'30'

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली